

अध्याय V

आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

5.1 आन्तरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण एक एकीकृत प्रक्रिया है जो एक इकाई के प्रबंधन और कर्मियों से प्रभावित होती है और जोखिमों से निपटने के लिए तैयार की जाती है और इकाई के उद्देश्य को प्राप्त करने में यथोचित आश्वासन प्रदान करती है, अग्रलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त किये गये हैं:

- सुव्यवस्थित, नैतिक, आर्थिक, कुशल और प्रभावी प्रचालन कार्यान्वित करना;
- जवाबदेही दायित्वों का पूरा करना;
- लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग और नुकसान के प्रति संसाधनों की सुरक्षा।

5.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग दो कार्यों द्वारा आंतरिक नियंत्रण लगाता है जो कि विवरणियों की संवीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा। हमने अभिलेखों की परीक्षण जाँच में, 104.68 करोड़ के राजस्व अनुमान के आंतरिक नियंत्रण की निष्फलता के 56 मामले पाये जो कि नीचे दर्शाये गये हैं।

5.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा का गैर-संचालन

हमने 9 मामले देखे, जहाँ आंतरिक लेखापरीक्षा शेष थी किंतु विभाग द्वारा नहीं की गई थी, जो कि नीचे दर्शाए गए हैं।

5.3.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान

5.3.1.1 कम मूल्यांकन के कारण शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) नियमावली, 2000 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(1) (बी) के अनुसार, जहाँ उत्पाद

शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा हटाये जाने के समय एवं स्थान पर बेचा नहीं जाता बल्कि एक परेषण एजेंट के डिपो, परिसर या किसी अन्य स्थान या परिसरों (इसके बाद से 'ऐसा अन्य स्थान') कहा जायेगा को हस्तांतरित किया जाता है जहाँ से उत्पाद शुल्क योग्य माल को उनके हटाये जाने के साथ से उनकी निकासी के बाद बेचा जाता है जहाँ उक्त माल के निर्धारिती एवं खरीदार संबंधित नहीं है तथा बिक्री के लिए एकमात्र कारण मूल्य है, ऐसे अन्य स्थान अथवा लगभग वही समय पर और जहाँ ऐसे माल को उसी स्थान या लगभग उसी समय पर, आंकलन के तहत माल का हटाने के समय के करीब मूल्य ऐसे माल का सामान्य संव्यवहार मूल्य होगा।

कोचीन कमिश्नरी के तहत मेसर्स एस्कवायर मल्टीप्लास्ट प्राइवेट लि. फैक्ट्री गेट के साथ-साथ उनके डिपो द्वारा प्लास्टिक फर्नीचर, खिलौने, संप्रेषण की सामग्री के निर्माण और बेचे गए प्लास्टिक के माल की पैकिंग में कार्यरत है। निर्धारिती डिपो से सहित सभी निर्गमों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क का फैक्ट्री से जारी बीजकों के अनुसार मूल्य के आधार पर भुगतान कर रहा था। डिपो को हस्तांतरित माल उच्च मूल्य पर बेच गया था और औसत डिपो मूल्य फैक्ट्री से बिक्री के लिए बीजक मूल्य से 8.47 प्रतिशत से अधिक थे। वर्ष 2012-13 के लिए तुलन पत्र के अनुसार, डिपो की निकासी का मूल्य ₹ 16.67 करोड़ था और डिपो से निकासी किए गए माल का मूल्य ₹ 18.08 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप माल का कम मूल्यांकन और ₹ 17.45 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

हालाँकि निर्धारिती आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए द्विवर्षीय श्रेणी में आता है, दिसम्बर 2011 से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2014), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 3.62 लाख के ब्याज के साथ ₹ 18.87 लाख की राशि जमा कराई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किये जाने पर, इसने कहा की श्रम शक्ति बाधाओं के कारण लेखापरीक्षा नहीं की गई।

5.3.1.2 उत्पाद शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 का नियम 8 कहता है कि मार्च के महीने को छोड़कर जब शुल्क 31 मार्च तक भुगतेय होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क मासिक आधार पर अनुवर्ती महीने की 5वें दिन (इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ई-भुगतान के मामले में अनुवर्ती महीने की 6वें दिन) भुगतान किया जाना चाहिए। आगे, अधिसूचना सं. 19/2014-सीई(एनटी) दिनांक 11 जुलाई 2014 में संशोधित उपरोक्त उल्लिखित नियम के नियम 8(3ए) के अनुसार, यदि प्रतिगम में नियत तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर निर्धारिती भुगतेय के तौर पर घोषित शुल्क का भुगतान करने में असफल होता है, तो वह अवधि जिसके दौरान निष्फलता निरंतर रहती है के लिए नियत तारीख से गणित प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए प्रदत्त नहीं शुल्क के राशि पर एक प्रतिशत की दर पर दण्ड का भुगतान करने के लिए देय होता है।

देहरादून कमिश्नरी के तहत मेसर्स ट्रेडिंग इंजीनियर (अंतर्राष्ट्रीय) लि. ईकाई-II, लाकेश्वरी, रुढ़की के ईआर-1 विवरणियों के साथ अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया (मई 2016) कि मार्च 2016 के महीने के दौरान, निर्धारिती ने ₹ 11.01 करोड़ की निर्धारणीय मूल्य के तैयार माल की निकासी की जिस पर ₹ 1.38 करोड़ का केंद्रीय उत्पाद शुल्क भुगतेय था। मार्च 2016 के महीने के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने केवल ₹ 34.55 लाख के उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। इस प्रकार, निर्धारिती ने ₹ 1.03 करोड़ की सीमा तक उत्पाद शुल्क का कम भुगतान किया।

हालाँकि इस इकाई को अनिवार्य रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल करना था, विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा नहीं की।

जब हमने इसे इंगित किया (मई 2016), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2016) कि ₹ 2.08 लाख के ब्याज और ₹ 2.06 लाख के दण्ड के साथ निर्धारिती ने ₹ 1.03 करोड़ के उत्पाद शुल्क को जमा कराया था। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं करने पर इसने कहा कि नवम्बर 2014 तक इकाई की लेखापरीक्षा की गई थी और नवम्बर 2016 में अगली लेखापरीक्षा के लिए चयनित की गई थी।

5.3.2 सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

5.3.2.1 इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(के) के अनुसार “इनपुट” का अर्थ अंतिम उत्पाद के निर्माता द्वारा फैक्ट्री में प्रयुक्त सभी माल है। नियम का उप-नियम (के) “अंतिम उत्पादों” को इनपुट या इनपुट सेवा कर प्रयोग करते हुए निर्मित या उत्पादित उत्पाद शुल्क योग्य माल के तौर पर परिभषित करता है। आगे सेनवेट क्रेडिट नियम का नियम 3(1) अंतिम उत्पाद के एक निर्माता को इनपुट पर प्रदत्त विनिर्दिष्ट शुल्कों का क्रेडिट लेने के लिए अनुमत करता है।

मेसर्स बारामती एगो लि. पूने III कमिश्नरी में, उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद जैसे कि सीईटीए 1985 के शीर्ष 17 और 23 के अध्याय के तहत चीन, मोलेसिस और डिनेचर्ड इथाइल एलकोहॉल और गैर उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद जैसे कि रेक्टिफाइड स्प्रिट, एकस्ट्रा न्यूट्रल एलकोहोल (अन-डिनेचर्ड इथाइल एलकोहोल और अन-डिनेचर्ड स्प्रिट्स) दोनों उत्पादों का निर्माण होता है। अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि निर्धारिती ने कैप्टिवली कन्ज्यूम्ड मोलेसिस और बाहरी दलों से खरीदी गई मोलेसिस दोनों से गैर उत्पाद शुल्क योग्य माल का निर्माण किया।

आगे संवीक्षा ने दर्शाया कि निर्धारिती ने बाहरी दलों से खरीदे गए मोलेसिस पर प्रदत्त शुल्क पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया चूँकि मोलेसिस गैर उत्पाद शुल्क योग्य माल के निर्माण के लिए प्रयुक्त हुए थे, उपरोक्त प्रावधानों को देखते हुए खरीदे गए मोलोसिस पर सेनवेट क्रेडिट का उपयोग उचित नहीं था।

आगे, उक्त कमिश्नरी के रेंज V (वालचंद नगर) के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 14.95 करोड का एससीएन, इस आधार पर कि गैर उत्पाद शुल्क योग्य जैसे कि रेक्टिफाइड स्प्रिट, एकस्ट्रा न्यूट्रल एलकोहॉल के निर्माण के लिए मोलोसिस का प्रयोग किया गया था, कैप्टिवली खर्च किए गए मोलेसिस पर अधिसचना के तहत छूट को मना करने के लिए शुल्क के भुगतान के लिए नवम्बर 2009 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए, दिसम्बर 2014 तक की अवधि के लिए, दिसम्बर 2014 में निर्धारिती

को जारी किया गया था। यह भी देखा गया था ईकाई लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य इकाई है, यह 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2015) मंत्रालय ने अवलोकन का विरोध किया और कहा (दिसम्बर 2016) कि समान मामले सेसटेट और कर्नाटक उच्च न्यायालय में निर्धारित किए गए हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किये जाने पर इसने कहा कि समय बाधाओं के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा पूर्ण नहीं की जा सकी।

यदि कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय मंत्रालय द्वारा स्वीकार होता है, तो समान अनुपालन के लिए सभी फील्ड फॉर्मेशनों को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

5.3.2.2 इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का अनयमित लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 2(1) के अनुसार, 'इनपुट सेवाओं' की परिभाषा के दायरे से निम्न सेवाओं को हटाया गया है:

- (i) कार्य संविदा और निर्माण सेवाओं के निष्पादन में सेवा भाग में, वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 66ई के खंड(बी) के तहत सूचीबद्ध सेवा सहित, पूँजीगत माल के समर्थन के लिए जहाँ तक वे एक बिल्डिंग की कार्य संविदा के निर्माण या निष्पादन या एक सिविल ढाँचा या उसका एक भाग या आधार रखना या ढाँचे के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं।
- (ii) एक मोटर वाहन को किराये पर देने द्वारा प्रदान सेवा, जहाँ तक कि मोटर वाहन से संबंधित है जो कि एक पूँजी माल नहीं है।
- (iii) सामान्य बीमा व्यापार की सेवा, सर्विसिंग, मरम्मत एवं रखरखाव, जहाँ तक कि वे एक मोटर वाहन से संबंधित हो जो कि एक पूँजीमाल नहीं है, और
- (iv) जैसा कि आउटडोर केरटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएँ, कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक सर्जरी, एक क्लब की सदस्यता, स्वास्थ्य एवं फिटनेस केन्द्र, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा कर्मचारियों को

दिए गए यात्रा लाभ, जब ऐसी सेवाएँ प्राथमिक तौर पर व्यक्तिगत उपयोग या एक कर्मचारी के उपयोग के लिए प्रयुक्त होती हैं।

पटना कमिश्नरी में, मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.) रिफाइनरी डिवीज़न की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया (मार्च 2016) की निर्धारिती ने सिविल कार्यों जो कि हैं बैरिकेडिंग, कमरों का निर्माण, कैन्टीन का नवीनीकरण के लिए प्रदत्त सेवा कर पर 2014-15 के दौरान ₹ 23.35 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया और उपयोग किया। प्रशासनिक बिल्डिंग एवं शौचालय, मरम्मत एवं रखरखाव, पेंटिंग कार्यों एवं बगीचे का रखरखाव आदि। चूँकी ये सभी सेवाएं इनपुट सेवा की परिभाषा के तहत नहीं आती, इन सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट, स्वीकार्य नहीं था।

यद्यपि मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. बरौनी एक अनिवार्य इकाई थी, कमिश्नरी की आंतरिक लेखापरीक्षा ने 2014-15 अवधि के लिए लेखापरीक्षा नहीं की।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2016), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि ₹ 23.59 लाख के एससीएन जारी किए गए थे। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किए जाने पर, इसने कहा कि लेखापरीक्षा कमिश्नरी पटना ने 2014-15 की अवधि को कवर करते हुए 2016 में इकाई की लेखापरीक्षा करने की योजना थी।

5.3.2.3 अनुचित दस्तावेजों पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियमावली 9 से साथ पठित नियम 3(1) शर्तें एवं दस्तावेज निर्धारित करता है, जिस पर अंतिम उत्पाद का निर्माता या उत्पादक या आउटपुट सेवाओं का प्रदाता को उसके तहत अंतिम उत्पाद के निर्माता के कारखाने में प्राप्त पूँजी माल या किसी भी इनपुट पर प्रदत्त या आउटपुट सेवा के प्रदाता के परिसर में विनिर्दिष्ट शुल्कों का क्रेडिट लेने के लिए अनुमत होगा।

मेसर्स कॉरटेक इंटरनेशनल (पी.) लि. अहमदाबाद सेवा कर कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले एक सेवा प्रदाता ने जैसा कि सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 में विनिर्दिष्ट है, बिना दस्तावेज, पूँजी माल के सेनवेट क्रेडिट

का लाभ उठाया (अगस्त 2010 से अक्टूबर 2012 तक)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.94 लाख तक के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया।

विभाग की निवारक विंग, निर्धारिती परिसर में गए और अगस्त 2013 तक की अवधि शामिल थी, किंतु मामले का पता लगाने में असफल रहा। इसके अलावा निर्धारिती की लेखापरीक्षा विभाग द्वारा समय पर नहीं की गई।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2015), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (दिसम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 14.94 लाख के सेनवेट क्रेडिट को लौटा दिया है। इसने आगे कहा कि निवारक विंग उपलब्ध संबंधित आसूचना/सूचना विनिर्दिष्ट मामलों तक प्रतिबंधित है, यह लेखापरीक्षा के समीकृत नहीं हो सकती। इसने आगे कहा कि निवारक जाँच और स्टाफ की कमी के कारण इकाई का चयन लेखापरीक्षा के लिए नहीं हुआ था।

5.3.2.4 शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

(vi) सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 3(1) कहता है कि अंतिम उत्पाद के एक निर्माता को 10 सितम्बर 2004 को या बाद में अंतिम उत्पाद के निर्माता की फैक्ट्री में प्राप्त कोई भी इनपुट या पूँजी माल पर प्रदत्त विनिर्दिष्ट शुल्कों का क्रेडिट लेने का अनुमत किया।

दिनांक 17 मार्च 2012 अधिसूचना संख्या 13/2012-सीमाशुल्क और 14/2012-सीमाशुल्क में भारत सरकार ने निर्यातित माल को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा(1) के तहत करारोप्य शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर के भुगतान में छूट दी थी।

हल्दिया कमिश्नरी के हल्दिया-II डिवीज़न के तहत रेंज IV में, विवरणियों की जाँच ने दर्शाया कि मेसर्स एन्नौर कोक लि. ने अप्रैल 2013 सितम्बर 2013 और नवम्बर 2013 के दौरान निर्यातित इनपुट पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया, जो कि पूर्ववर्ती अधिसूचना में छूट प्राप्त था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.49 लाख के सेनवेट क्रेडिट का नियमित लाभ उठाया गया जोकि लागू ब्याज के साथ निर्धारिती से वसूला जाना था।

आगे, निर्धारिती एक अनिवार्य इकाई है और विभागीय प्रतिमानों के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा में वार्षिक रूप से शामिल की जानी थी। किंतु विभाग ने मार्च 2013 से निर्धारिती की लेखापरीक्षा नहीं की। इस प्रकार, सेरा द्वारा इंगित किए जाने तक चूक का पता नहीं लगाया गया।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2015) मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 4.32 लाख के ब्याज के साथ ₹ 12.49 लाख के सेनवेट क्रेडिट को लौटा दिया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, इसके कहा कि, श्रमशक्ति बाध्यताओं के कारण लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

5.3.3 सेनवेट क्रेडिट का कम वापस करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(2) के अनुसार इनपुट अथवा इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने वाले निर्माता और ऐसे अंतिम उत्पाद का निर्माण कर रहे, जो कि छूट प्राप्त माल के साथ-साथ शुल्क पर प्रभारित हैं, प्राप्ति, खपत और इनपुट की मालसूची के लिए अलग-अलग लेखे बनाएगा और केवल उस मात्रा पर सेनवेट क्रेडिट लेगा, जोकि शुल्क देय माल के निर्माण में प्रयुक्त होने के लिए है। नियम 6(3) कहता है कि निर्माता, जो पृथक लेखों को नहीं रख रहे, या तो छूट प्राप्त माल एवं सेवाओं के मूल्य के छह प्रतिशत के बराबर राशि या उप नियम 3(ए) के तहत निर्धारित राशि का भुगतान करेगा। उपनियम 3(ए) प्राप्त माल के निर्माता के लिए सेनवेट क्रेडिट का वास्तविक वापस करना छूट को वित्तीय वर्ष के अंत पर प्रत्येक माह में निर्माता द्वारा सेनवेट क्रेडिट के अनंतिम वापस करने को अनुबंध करता है।

सिलिगुड़ी कमिश्नरी में मेसर्स सिपला लि. कमरेक ने सामान्य इनपुट एवं इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट का लाभ उठाते हुए शुल्क योग्य और छूट प्राप्त फार्मेस्यूटीकल उत्पादों दोनों का निर्माण किया। निर्धारिती ने इनपुट एवं इनपुट सेवाओं के लिए पृथक लेखे नहीं रखने का चयन किया और इस प्रकार सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) विकल्प (ii) का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक माह में निर्धारिती ने उक्त नियम के तहत राशि का भुगतान किया और वित्तीय वर्ष के अंत पर अवकल राशि का निर्धारण और भुगतान किया। वर्ष 2013-14 के दौरान, निर्धारिती ने इनपुट सेवाओं पर ₹ 590.29 लाख के

सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया जिस पर ₹ 38.66 लाख के अनुपातिक क्रेडिट को लौटाया जाना था। निर्धारिती ने ₹ 7.28 लाख को अस्थायी रूप से लौटाया और वर्ष के अंत पर फॉर्मूला यू/आर 6(एएस) के अनुसार छूट प्राप्त माल पर रोप्य इनपुट सेवा क्रेडिट की राशि को लौटाया, यद्यपि निर्धारिती को ₹ 31.38 लाख की अवकल राशि का वास्तविक तौर पर भुगतान करना है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.55 लाख के सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी हुई जो कि जेसे की प्रयोज्य हो ब्याज के साथ निर्धारिती से वसूली योग्य थी।

निर्धारिती एक अनिवार्य इकाई है और वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा की जानी है किंतु दिसम्बर 2013 तक ईकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई। इस प्रकार, सेरा द्वारा इंगित किए जाने तक चूक का पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने इसे इंगित (मार्च 2015), मंत्रालय ने अवलोकन को दाखिल किया (नवम्बर 2016) और कहा कि ₹ 52.05 का एससीएन निर्धारिती को जारी किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किये जाने पर इसने कहा कि लेखापरीक्षा श्रमशक्ति बाध्यताओं के कारण नहीं की जा सकी।

5.3.4 ब्याज का गैर/कम भुगतान

5.3.4.1 ब्याज का कम-भुगतान

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 की धारा 3 एक निर्माता या आऊटपुट सेवा के प्रदाता को केंद्रीय उत्पाद शुल्क इनपुट, पूँजी माल या इनपुट सेवा के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए अनुमत करती है बशर्ते उक्त इनपुट, पूँजीमाल, इनपुट सेवा शुल्क योग्य उत्पादों के निर्माण या करारोप्य आऊटपुट सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त होनी चाहिए। आगे सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 14 कहता है कि गलत ढंग लाभ उठाए गए और उपयुक्त सेनवेट क्रेडिट पर ब्याज लगाया जाना है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दमन कमिश्नरी के तहत मेसर्स जय कॉर्प लिमिटेड को आग के कारण प्लांट एवं कच्ची सामग्री का स्टॉक, तैयार माल आदि की हानि हुई जो कि 11 अक्टूबर 2012 को फैक्ट्री में लगी और दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को पत्र में आग में नष्ट हुए इनपुट और पूँजीमाल पर लाभ उठाए गए क्रेडिट का विस्तृत विवरण दिया। आग में नष्ट हुए माल में निहित

₹ 2.66 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट का भुगतान लगभग एक वर्ष की अवधि के बाद पीएल और सेनवेट लेखे द्वारा 7 अक्टूबर 2013 को निर्धारिती द्वारा किया गया था।

इसके अलावा, समय पर विभाग द्वारा निर्धारिती की लेखापरीक्षा नहीं की गई। जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2015), मंत्रालय ने आंशिक तौर पर (नवम्बर 2016) अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि वास्तविक रूप से भुगतेय ब्याज ₹ 38.34 लाख था जिसका भुगतान निर्धारिती द्वारा किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं करने के लिए, मंत्रालय द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

5.3.4.2 ब्याज का कम भुगतान

दिनांक 26 जून 2001 की अधिसूचना सं. 46/2001 सीई के अनुसार, केन्द्र सरकार ने बिना शुल्क का भुगतान किए उत्पाद की फैक्ट्री से वेयरहाउस तक उत्पाद शुल्क योग्य माल का हटाने की सुविधा का विस्तारण किए दिनांक 26 जून 2001 अधिसूचना सं. 46/2001-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) के साथ पढा गया 29 जून 2001 सीबीईसी परिपत्र सं. 581/18/2001 सीएक्स के पैरा 10.3 के अनुसार, जब उप/सहायक क्षेत्रीय आयुक्त की अनुमति से माल दूसरी और हटाया जाता है, शुल्क और निकासी दिनांक तक उत्पादन की फैक्ट्री से निकासी की दिनांक से गणना की गई, भुगतेय शुल्क पर प्रति वर्ष 24 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रदत्त होना चाहिए।

कोचीन आयुक्तालय के अंतर्गत, मै. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि. कोच्ची रिफाईनरी (बीपीसीएल-केआर) ने वेयर हाऊसिंग निर्यात हेतु बंकरिंग टर्मिनल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, शेवा, नवी मुंबई से एचवीएफओ (भट्टी तेल) के 8958 केएल की निकासी की। यह विदेशी यात्रा/समुद्री यात्रा पर जहाजों के लिए बंकर ईंधन के रूप में विक्रय के लिए निर्धारित थी। 8958 केएल में से, 1025 केएल और 3454 केएल की मात्रा शुल्क और ब्याज अदा करके क्रमशः 13 फरवरी 2014 और 3 मार्च 2015 तक घरेलु खपत के लिए रखा गया था। यद्यपि, 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा किया गया था क्योंकि 3454 केएल की निकासी के मामले में 24 प्रतिशत देय के स्थान पर 18 प्रतिशत

की दर पर ब्याज अदा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.23 लाख के ब्याज का कम भुगतान किया।

यद्यपि, निर्धारिती आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक इकाई थी, परंतु मार्च 2014 तक कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 22.23 लाख की राशि जमा की थी। आंतरिक लेखापरीक्षा की कमी पर, यह कहा कि लेखापरीक्षा श्रमबल बाधाओं के कारण नहीं की गई थी।

5.4 आंतरिक लेखापरीक्षा के द्वारा अवधि को पूर्णतः कवर न करना

केंद्रीय उत्पादन शुल्क लेखापरीक्षा मैनुयल 2008 में बताया गया है कि लेखापरीक्षा मौजूदा लेखापरीक्षा की तिथि से पूर्व एक महीना पूरा होने तक की जानी चाहिए। हमने दो मामले देखे जहां लेखापरीक्षा उचित अवधि तक नहीं की गई थी जिसे नीचे दर्शाया गया है।

5.4.1 अमान्य दस्तावेजों पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति

दिनांक 27 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं. 26/2014-सीई(एन.टी.) के साथ पठित सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 9 यह दर्शाता है कि सेनवेट क्रेडिट एसटीटीजी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रेलवे प्राप्तियों की प्रतियों के साथ भारतीय रेलवे द्वारा जारी की गई रेल द्वारा माल के परिवहन हेतु सेवा कर प्रमाण पत्र (एसटीटीजी प्रमाण पत्र) पर अनुमत किया जाएगा।

बोलपुर आयुक्तालय में, मै. मैथन एलॉयज़ लिमि. और मै. इंपैक्स फ़ैरो टैक प्रा. लिमि. ने रेलवे पावती की प्रतियों के आधार पर अगस्त 2014 से मार्च 2015 के दौरान क्रमशः ₹ 9.39 लाख और ₹ 6.05 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया परंतु ऐसे क्रेडिट के लिए अपेक्षित सांविधिक एसटीटीजी प्रमाण पत्र उसके पास नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.44 लाख के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति हुई जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

दोनों निर्धारिती आवश्यक इकाईयां थी और 2013-14 की अवधि कवर करते हुए लेखा परीक्षा ने मई 2015 के दौरान पहली इकाई की लेखापरीक्षा और

मार्च 2015 के दौरान दूसरी इकाई की लेखापरीक्षा की, यद्यपि केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा मैनुयल 2008 के प्रावधान यह दर्शाते हैं कि लेखापरीक्षा मौजूदा लेखापरीक्षा की तिथि से पूर्व एक महीने पूर्ण होने तक की जानी चाहिए। इस चूक का पता नहीं लगाया गया था जब तक कि सेरा द्वारा उसे बताया नहीं गया था।

जब हमने यह इंगित किया (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह स्वीकार किया (दिसम्बर 2016) कि अनियमित रूप से प्राप्त किये क्रेडिट सितम्बर 2015 में निर्धारितियों द्वारा वापस किये गये थे। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि लेखापरीक्षकों ने 2013-14 के लिए अनुमोदित योजना के अनुसार लेखापरीक्षा की थी और सेरा द्वारा उठाई गई आपत्तियां 2014-15 से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि सेरा की आपत्ति भावी मार्गदर्शन के लिए ध्यान में रखी जाएंगी।

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति को कवर न करने के संबंध में मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क मैनुयल 2008 यह दर्शाता है कि लेखापरीक्षा मौजूदा लेखापरीक्षा की तिथि के पूर्व एक महीने पूर्ण होने तक की जानी चाहिए।

5.4.2 सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6(3) यह दर्शाता है कि यदि सेनवेट क्रेडिट सामान्य इनपुट्स/इनपुट सेवाओं जो शुल्क योग्य सामान होने के साथ-साथ छूट प्राप्त सामान के निर्माण में प्रयुक्त की गई है, पर प्राप्त किया गया है और इनपुट्स के लिए अलग लेखे तैयार नहीं किये गये हैं, तब निर्माणकर्ता या तो छूट प्राप्त सामान के मूल्य के छः प्रतिशत (31 मार्च 2012 तक पांच प्रतिशत) के समान राशि पर अदा करेगा या इनपुट्स और इनपुट सेवाओं के लिए या छूट प्राप्त सामान या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के निर्माण के संदर्भ में प्राप्त सेनवेट क्रेडिट के समान राशि अदा करेगा।

कोलकाता-V आयुक्तालय (पूर्व कोलकाता VIII आयुक्तालय के अंतर्गत) में, मै. डाबर इंडिया लिमिटेड ने उक्त छूट प्राप्त सामान के उत्पादन के लिए सामान्य

इनपुट सेवाएं जैसे बीएसएस, प्रबंधन परामर्श सेवाएं, सीएफए सेवाएं आदि का प्रयोग करते हुए 2011-12 के दौरान ₹ 14.39 करोड़ की राशि के छूट प्राप्त शहद/मधु की निकासी की। यद्यपि, निर्धारिती ने न तो इनपुट्स और/या इनपुट सेवाओं के लिए अलग लेखे तैयार किये न ही छूट प्राप्त माल के मूल्य के छः/पांच प्रतिशत के समान राशि अदा की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 71.95 लाख का भुगतान नहीं किया गया जो लागू दरों पर ब्याज सहित वसूली योग्य था।

निर्धारिती एक आवश्यक इकाई थी और दिसम्बर 2011 में आंतरिक लेखापरीक्षा की गई। केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा मैनुयल 2008 के प्रावधान दर्शाते हैं कि लेखापरीक्षा मौजूदा लेखापरीक्षा की तिथि के पूर्व एक महीने पूर्ण होने तक की होनी चाहिए।

जब इमने इंगित किया (अगस्त 2012), आपत्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने सूचित (दिसम्बर 2016) किया कि चूक की पूर्ण अवधि को आवधिक रूप से कवर करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं और इनमें से दो एससीएन की मांग की पुष्टि की जा चुकी है। आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता के संबंध में, कहा गया कि दिसम्बर 2012 में 2011-12 की अवधि हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी जिसके दौरान विषय की जाँच की गई थी और एससीएन के रूप में आवश्यक कार्रवाई की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन के लिए तर्कपूर्ण नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2011 में की गई आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान मामले के पता न लगने को इंगित किया।

5.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारितियों की चूकों का पता न लगाना

हमने 41 मामले पाये जहां विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी परंतु वे निर्धारितियों द्वारा की गई चूकों को पता लगाने में असफल रहे, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है।

5.5.1 शुल्क का गैर-भुगतान

5.5.1.1 विभेदीय शुल्क का गैर-भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 4 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो कोई उत्पाद शुल्क योग्य सामान उत्पादित करता है या निर्माण करता है, नियम 8 के अनुसार इस प्रकार के सामान पर शुल्क अदा करेगा। नियम 6 दर्शाता है कि निर्धारिती किसी उत्पाद शुल्क योग्य सामान पर देय शुल्क का स्वयं निर्धारण करेगा। नियम 5 के अनुसार, किसी उत्पाद शुल्क सामान पर लागू शुल्क की दर उस तिथि को लागू होगी जिस तिथि को फेक्ट्री से ऐसा सामान हटाया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11ए(1) (बी)(i) दर्शाती है कि धोखा-धड़ी या साँठ-गाँठ को छोड़कर किसी अन्य कारण हेतु जहां उत्पादक के किसी शुल्क की उगाही की गई या अदा की गई या कम उगाही की गई है या कम अदा किया गया या गलती से प्रतिदाय किया गया है, खंड (क) के अंतर्गत नोटिस देने से पूर्व प्रभार योग्य शुल्क, ऐसा व्यक्ति धारा 11ए के अंतर्गत देय ब्याज सहित शुल्क की राशि, ऐसे शुल्क के स्वयं अन्वेषण के आधार पर अदा कर सकता है।

कोचीन आयुक्तालय में केंद्रीय उत्पाद निर्धारिती, मै. ट्रेको केबल्स क. लिमि., विद्युत तारें, केबल, टेलीफोन केबल आदि का निर्माण कर रहा है, जिसने विभेदीय शुल्क ₹ 25.81 लाख की राशि अदा नहीं की जो 2013-14 से 2014-15 की अवधि के दौरान केरल स्टेट इलैक्ट्रीसीटी बोर्ड (केएसईबी) और मै. बीइएससीओएम को बेचे गये समान के बिक्री मूल्य के वृद्धि संशोधन के कारण देय थी। ब्याज भी देय था।

यद्यपि, मार्च 2014 तक की अवधि को कवर करते हुए जुलाई 2014 में आंतरिक लेखापरीक्षा की गई, सेरा द्वारा पता लगाई गई चूक का पता नहीं लगाया गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (अगस्त 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 5.32 लाख के ब्याज सहित ₹ 25.81 लाख का विभेदीय शुल्क अदा किया (सितम्बर 2015 और नवम्बर 2015)। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, यह कहा गया कि

लेखापरीक्षा अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि हेतु की गई थी, जबकि सेरा लेखापरीक्षा में की गई आपत्ति के अनुसार ₹ 23.80 लाख के सामान की अधिकतर बिक्री अप्रैल 2014 से नवम्बर 2014 के बीच की गई थी। केवल ₹ 2.02 लाख की बिक्री ही आंतरिक लेखापरीक्षा में कवर की गई अवधि से जुड़ी थी। यद्यपि, चूक के पता न लगाने के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

5.5.1.2 पूंजीगत माल की निकासी पर शुल्क का गैर-भुगतान

सेनवेट क्रेडिट नियमावली का नियम 3(5) यह दर्शाता है कि यदि पूंजीगत सामान जिस पर क्रेडिट लिया गया है वह प्रयोग करने के बाद हटा दिया जाता है, तो निर्माता या आऊटपुट सेवा के प्रदाता एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही हेतु 2.5 प्रतिशत तक कम करके उक्त पूंजीगत माल पर लिये गये सेनवेट क्रेडिट के समान राशि अदा करेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि पूंजीगत माल अपशिष्ट और अवशेष है, निर्माता लेन-देन मूल्य पर देय शुल्क के समान राशि अदा करेगा।

वलसाद आयुक्तालय के अंतर्गत मै. बिलग इंडस्ट्रीज लिमि. (अब बेयर वापी प्रा. लिमि.) जो पूंजीगत सामान पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त कर रही थी, ने 2008-09 से 2011-12 की अवधि हेतु अपने तुलन पत्र में कुल ₹ 12.79 करोड़ की राशि “संयंत्र और मशीनरी को हटाया जाना” में दर्शाई थी। चूंकि लेखापरीक्षित निकाय ने अपने पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था, तो ऐसे अवशेष या पूंजीगत माल की उनकी निकासी पर शुल्क अदा करना अपेक्षित था। यद्यपि, इसने अपने लेखे से हटाई गई संयंत्र और मशीनरी की राशि पर किये गये अपने शुल्क भुगतान के कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये। अवशेष और उपरोक्त मशीनरी पर देय शुल्क की वास्तविक राशि प्राप्त करने के अनुरोध के साथ हमने यह मामला विभाग (दिसम्बर 2012) को बताया था।

जब हमने यह इंगित किया (दिसम्बर 2012), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती को जारी किये गये दो एससीएन पर निर्णय लिया जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.67 करोड़ की मांग की पुष्टि हुई। निर्धारिती ने सेसटैट में अपील की, जो लंबित है।

आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

5.5.1.3 मध्यवर्ती सामान पर शुल्क का गैर-भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 का नियम 12बीबी बिना शुल्क भुगतान के एक पंजीकृत परिसर से दूसरे पंजीकृत परिसर से उत्पाद शुल्क योग्य माल को हटाने के लिए कर दाताओं को अनुमत करता है बशर्ते कि ऐसे मध्यवर्ती उत्पादों से निर्मित अंतिम उत्पाद की निकासी प्राप्तकर्ता के परिसर में मध्यवर्ती माल की प्राप्ति की तिथि से छः महीनों की अवधि के अंदर शुल्क अदा करने पर की गई हो। यदि, ऐसे अंतिम उत्पाद का छः महीनों की विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्राप्तकर्ता के परिसर से निकास नहीं किया जाता तो उक्त मध्यवर्ती माल पर ब्याज सहित शुल्क प्राप्तकर्ता द्वारा अदा किया जाएगा।

लार्ज टैक्सपेयर यूनिट (एलटीयू) बेंगलूर के अंतर्गत मै. कर्नाटक शॉप डिटरजेंट्स लिमि., बेंगलूर ने अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए पूर्वोक्त नियम 12बीबी के अंतर्गत शुल्क अदा किये बिना अपनी सैंडलवुड ऑयल डिवीजन, मैसूर से सैंडलवुड ऑयल अंश खरीदे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अगस्त 2016 तक की अवधि के दौरान प्राप्त किये गये 451.704 कि.ग्रा. तेल (1 अप्रैल 2012 तक 114.904 कि.ग्रा. के आदि शेष सहित) में से छः महीनों की विनिर्दिष्ट अवधि में निर्माता के लिए केवल 19.491 कि.ग्रा. ही प्रयोग किया गया। 285.139 कि.ग्रा. छः महीनों के बाद प्रयोग किया गया और शेष 147.074 कि.ग्रा. अभी तक (अगस्त 2016) तक प्रयोग किया जाना है। इस प्रकार, निर्धारिती को छः महीनों के बाद भी प्रयुक्त तेल पर ब्याज के अतिरिक्त अप्रयुक्त तेल पर ब्याज सहित ₹ 19.94 लाख का शुल्क अदा करने थे। एलटीयू बेंगलूर की आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2014 तक की अवधि को कवर करते हुए अपनी लेखापरीक्षा (जुलाई-सितम्बर 2014) के दौरान इस गैर भुगतान का पता नहीं लगा सकी।

जब हमने यह इंगित किया (मई 2015), मंत्रालय ने आपत्ति (नवम्बर 2016) स्वीकार की और कहा कि ₹ 19.94 लाख के एससीएन निर्धारिती को जारी किये गये थे। इसके अतिरिक्त यह कहा मंत्रालय ने कहा कि निर्धारिती नियम

12बीबी के नियम की अनुपालना कर रहा है क्योंकि अंतिम उत्पाद की छः महीनों के अंदर ही निकास की गई है। यद्यपि, सैंडलवुड ऑयल अंश की शेष मात्रा छः महीनों की अवधि के बाद तक स्टॉक में है परंतु यह एक केवल प्रक्रियात्मक चूक है, चूँकी शुल्क मैसूर इकाई द्वारा अदा किया जाना है, अंत का क्रेडिट बेंगलोर इकाई द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट छः महीनों की अवधि तैयार माल की निकासी के लिए निर्माता को दिया गया पर्याप्त समय है। निर्धारिती को इस अवधि के बाद प्रक्रिया को अपनाना चाहिए और विभाग को अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए, चाहे प्रक्रिया राजस्व से संबंधित नहीं है।

5.5.1.4 छूट प्राप्ति के साथ-साथ शुल्क योग्य माल की निकासी पर शुल्क का गैर-भुगतान

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(2) के अनुसार, जहां और किसी इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने वाले निर्माता या आऊटपुट सेवा प्रदाता या ऐसे अंतिम उत्पाद के निर्माता या कोई सेवा प्रदान करता है जो छूट प्राप्त माल या सेवा के साथ-साथ शुल्क या कर के लिए प्रभार योग्य है, वहां आऊटपुट सेवा के निर्माता या प्रदाता शुल्क योग्य तैयार उत्पाद के निर्माण में प्रयोग के लिए या आऊटपुट सेवा प्रदान करने में और छूट प्राप्त माल तैयार करने या सेवाओं के प्रयोग हेतु इनपुट की मात्रा, इनपुट और इनपुट सेवा की प्राप्ति, खपत और सूची के लिए अलग लेखे तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त, नियम 6(3) के अनुसार, यदि निर्धारिती एक अलग खाता नहीं रखता तब निर्धारिती को छूट प्राप्त माल के मूल्य से (16 मार्च 2012 तक) 5 प्रतिशत और 17 मार्च 2012 से 6 प्रतिशत के समान राशि अदा करनी पड़ती है।

मै. डोमीनो प्रिन्टैक इंडिया लिमिटेड, प्लॉट सं. 299 सेक्टर 6, आईएमटी मानेसर, गुडगांव अध्याय शीर्ष 32159090 और 29141990 के अंतर्गत प्रिंटिंग - इंक रिजर्वार, प्रिंटिंग-इंक - कार्ट्रिज, प्रिंटिंग-इंक-कांटेंट, प्रिंटिंग इंक-मेड अप-कार्ट्रिज और वाश साल्युशन के निर्माण से जुड़ी है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए इआर-1 की प्रारंभिक समीक्षा के दौरान, यह पाया गया था कि निर्धारिती शुल्क योग्य माल के साथ-साथ छूट प्राप्त माल का उत्पादन

और निकासी कर रहा था और प्रयुक्त सामान्य इनपुट या शुल्क योग्य और छूट प्राप्त माल के निर्माण के संबंध में कोई अलग लेखे नहीं रखे गये थे। निर्धारिती ने 2011-12 में ₹ 27.45 करोड़ और 2012-13 में ₹ 31.11 करोड़ मूल्य के छूट प्राप्त माल की निकासी की, परंतु निर्धारिती ने 2011-12 में ₹ 1.37 करोड़ (₹ 27.45 करोड़ x 5 प्रतिशत) और 2012-13 में ₹ 1.86 करोड़ (₹ 31.11 करोड़ x 6 प्रतिशत) की शुल्क राशि अदा नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.24 करोड़ के शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सका। 2011-12 और 2013-14 की अवधि के दौरान की गई आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाई गई चूक को इंगित नहीं किया।

जब हमने इसे इंगित किया (नवम्बर 2013), मंत्रालय ने आपत्ति को अस्वीकार करते हुए सूचित किया (दिसम्बर 2016) कि शुल्क योग्य और छूट प्राप्त माल के निर्माण के लिए प्रयुक्त इनपुटस अलग हैं। इसलिए, निर्धारिती छूट प्राप्त माल में प्रयुक्त इनपुटस पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त नहीं कर रहा है।

मंत्रालय के उत्तर में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा चूक के पाये जाने और निर्धारिती द्वारा अलग लेखे न रखने के आरोप के पहलू पर कोई वर्णन नहीं है।

5.5.2 शुल्क का कम भुगतान

5.5.2.1 विक्रय राशि में त्रुटियों के कारण पाई गई राशि का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप धारा 1 (ए) के अनुसार, उत्पाद शुल्क उन सभी उत्पाद माल जिसे भारत में उत्पादित या निर्मित किया गया है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में निर्धारित की गई दरों के अनुसार उद्ग्राह्य और संग्रहणीय होंगे।

वलसाद आयुक्तालय के अंतर्गत, मै. बिलय इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि. अब बेयर वापी प्रा. लिमि.) वापी में एक डीटीए इकाई थी और यह एक शत प्रतिशत ईओयू इकाई थी जिसके लिए यह समेकित तुलन पत्र अनुरक्षित कर रही थी हमने पाया कि लेखापरीक्षित निकाय के तुलन-पत्र और इआर-1 रिटर्न में

विक्रय आंकड़ों (ईकाई के निर्यात सहित) में असामान्य भिन्नता थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1: तुलन पत्र के अनुसार विक्रय

	(राशि ₹ में)			
वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
घरेलु विक्रय	2,02,45,92,104	2,02,16,42,330	2,38,32,02,414	885,60,00,000
निर्यात	6,45,97,74,670	5,86,79,62,966	5,08,58,30,464	(वर्गीकरण नहीं दिया गया)
कुल	8,48,43,66,774	7,88,96,05,296	7,46,90,32,878	885,60,00,000

तालिका 3.2: इआर-1 के अनुसार विक्रय

	(राशि ₹ में)			
वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
घरेलु विक्रय	1,74,65,89,247	1,49,29,98,057	1,79,39,88,348	2,13,93,36,279
निर्यात	3,14,99,37,217	3,60,93,29,323	3,71,93,05,348	4,37,04,79,245
कुल	4,89,65,26,464	5,10,23,27,380	5,51,32,93,696	6,50,98,15,524

निर्धारिती इआर-1 और इआर-2 रिटर्न के साथ तुलन-पत्र के विक्रय आंकड़ों में विसंगतियों का पुनर्मिलान उपलब्ध नहीं करा सका। विभाग ने पाई गई विसंगति के सत्यापन और अंतरीय देय शुल्क, यदि कोई है तो, की वसूली का अनुरोध (दिसम्बर 2012) किया था।

2011-12 तक की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी परंतु सेरा लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई आपत्तियों का पता नहीं लगा सकी।

जब इसे हमने इंगित किया (दिसम्बर 2012), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि ₹ 7.62 करोड की मांग की पुष्टि की गई (मार्च 2016) थी। आदेश के प्रति निर्धारिती की अपील सेसटैट में लंबित थी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा की ओर से चूक पर खेद है तथा संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

5.5.2.2 शुल्क की गलत दर के कारण शुल्क का कम भुगतान

(i) दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीई की क्र.सं. 292ए के रूप में संशोधित दिनांक 1 मार्च 2013 की अधिसूचना सं. 12/2013-सीई यह दर्शाती है कि टैरिफ मद 87060029 के अंतर्गत आने वाली बस चैसी और अन्य माल की निकासी 14 प्रतिशत आधारभूत उत्पाद शुल्क निर्धारित करती है।

एलटीयू बेंगलोर आयुक्तालय में एक बड़ी करदाता इकाई मै. वॉल्वो इंडिया प्रा. लिमि. केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहले अनुसूची के अध्याय 87 के अंतर्गत टिपर्स, ट्रैक्टर्स, ट्रैलर्स और चैसी का निर्माण करता है। निर्धारितियों के केंद्रीय उत्पाद शुल्क रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 28.95 करोड़ की निर्धारण योग्य मूल्य पर मार्च 2012 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान 14 प्रतिशत के स्थान पर 13 प्रतिशत की दर पर आधारभूत उत्पाद शुल्क अदा करके टैरिफ मद 87060029 के अंतर्गत बस चैसी की निकासी की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 29.82 लाख शुल्क (सैस सहित) का कम भुगतान किया गया।

यद्यपि लार्ज टैक्सपेयर यूनिट, बेंगलोर की आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंद ने इकाई की दो बार (जून-जुलाई 2013 और सितम्बर-अक्टूबर 2015 के दौरान) लेखापरीक्षा की, शुल्क के इस कम भुगतान का पता नहीं लगाया गया था।

जब हमने यह इंगित किया (जनवरी 2016), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 29.82 लाख शुल्क और ब्याज ₹ 13.76 लाख अदा किये। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा जून-जुलाई 2013 के दौरान की गई थी और मार्च 2013 की अवधि कवर की, इसलिए कम भुगतान का पता नहीं लग सका। अप्रैल 2013 से मार्च 2015 की अवधि हेतु बाद की आंतरिक लेखापरीक्षा को मार्च 2016 में अंतिम रूप दिया गया। चूंकि जनवरी 2016 में सेरा लेखापरीक्षा की गई थी और इसके द्वारा ही पहले ही शुल्क के कम भुगतान को कवर कर लिया गया था, उक्त को आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कपूर्ण नहीं था क्योंकि अप्रैल 2013 से मार्च 2015 की अवधि हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा 8 अक्टूबर 2015 तक पूरी की गई थी जो पता लगाने में असफल रही और कम भुगतान का पता नहीं लगाया गया था। केवल, लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार विमर्श करने और अंतिम रूप देने के लिए मार्च 2016 में निगरानी समिति की बैठक की गई थी।

इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा न केवल निर्धारिती की चूक का पता लगाने में असफल रही, बल्कि अपनी चूक को छिपाने के लिए गलत तथ्य देने का प्रयास किया। मंत्रालय तथ्यों की जांच कर सकता है और गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकता है।

(ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 5 के अनुसार, किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल के लिए लागू टैरिफ मूल्य के शुल्क की दर वह दर होगी या ऐसे माल को किसी फैक्ट्री या किसी वेयरहाउस, जैसा भी मामला हो, से हटाये जाने की तिथि से मूल्य लागू होगा।

गांधीनगर रेंज में, उत्पाद शुल्क अधीक्षक कार्यालय के केंद्रीय उत्पाद शुल्क रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा किये जाने के दौरान, फरवरी 2014 से अप्रैल 2014 की अवधि हेतु मै. नूकॉन एरोस्पेस प्रा. लिमि. की इआर-1 रिटर्न से यह पाया गया कि निर्धारिती ने सीईटीएसएच-84792090 के अंतर्गत आने वाले माल पर 12.36 प्रतिशत की दर की अपेक्षा 10.30 प्रतिशत की दर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अदा किया। शुल्क की दर के गलत लागू किये जाने के कारण ₹ 41.62 लाख जोड़े गये परिशिष्ट-V में दिये गये विवरणानुसार) के शुल्क का कम भुगतान किया गया जिसे ब्याज सहित निर्धारिती से वसूल किये जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि, एसीइएस ने प्रारंभिक संवीक्षा में यह त्रुटि बताई थी, परंतु विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद, विभाग ने अगस्त 2014 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में भी इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 14.02 लाख के ब्याज सहित ₹ 41.62 लाख शुल्क अदा किया। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर,

मंत्रालय ने कहा कि यादृच्छिक रूप से चयनित महीनों के कारण मामले का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि निर्धारिती ने अपनी रिटर्न भरते समय सूचना को छिपाया।

5.5.2.3 प्रयुक्त पूँजीगत माल की निकासी पर शुल्क का कम भुगतान

सेनवेट क्रेडिट नियमावली का नियम 3(5) दर्शाता है कि पूँजीगत माल जिस पर क्रेडिट लिया गया है, को प्रयोग के बाद हटाया गया है तो निर्माता या आऊट-पुट सेवा प्रदाता द्वारा वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए 2.5 प्रतिशत तक घटाकर उक्त पूँजीगत माल पर लिये गये सेनवेट क्रेडिट के समान राशि अदा करेंगे। सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3(5ए) के अंतर्गत शर्त के अनुसार, यदि पूर्वोक्त नियम के नियम 3(5ए) के अंतर्गत आंकी गई राशि लेन देन वाले मूल्य पर उद्ग्राह्य शुल्क के समान राशि से कम है, तो देय राशि लेन-देन मूल्य पर उद्ग्राह्य राशि शुल्क के समान होगी।

अलवर आयुक्तालय में मै. श्री सीमेंट लिमिटेड (ग्रिडिंग प्रोजैक्ट), भिवाड़ी ने ₹ 6.09 करोड़ के लेन-देन मूल्य पर पुरानी और प्रयुक्त मशीनरी की निकासी की जिसके लिए ₹ 75.30 लाख राशि पूर्वोक्त नियम की शर्त के अनुसार अदा की जानी थी, जबकि निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5ए) की गणना के अनुसार ₹ 49.69 लाख राशि अदा की। इसके कारण ₹ 25.62 लाख का कम भुगतान किया गया।

यद्यपि, की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में मई 2014 तक की अवधि कवर की गई परंतु सेरा द्वारा पता लगाई गई चूक को इंगित नहीं किया।

जब हमने इसे इंगित किया (नवम्बर 2015), कि मंत्रालय ने आपत्ति (नवम्बर 2016) का विरोध किया और कहा कि पूँजीगत माल बेचा नहीं गया था बल्कि सहायक इकाई में केवल स्थानांतरित किया गया था, इसलिए लेन-देन मूल्य का सिद्धांत लागू नहीं होता था और देय शुल्क नियम 3(5ए)(ए)(ii) के अनुसार उचित था।

उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि निर्धारिती ने अपनी इकाई से पूँजीगत माल हटाने के लिए बीजक जारी किया था, इसलिए लेन-देन मूल्य घोषित किया

था। इसलिए निर्धारिती को नियम 3(5ए)बी अपनाते हुए देय राशि देना आवश्यक था।

5.5.2.4 कम मूल्य निर्धारण से कारण शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 दर्शाती है कि 'लेन-देन मूल्य' वह है वास्तविक रूप से अदा की गई या माल, जो बेचा गया है; के लिए देय कीमत जिसमें खरीददार द्वारा या उसकी ओर से किसी कारणवश या विक्रय के कारण निर्धारिती की ओर से अदा किये जाने वाली राशि शामिल हो सकती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्य निर्धारण (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का निर्धारण) नियमावली 2000 का नियम 6 दर्शाता है कि कीमत विक्रय के लिए एकमात्र निमित्त है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क उद्देश्य हेतु ऐसे माल को निर्धारिती से खरीददार तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चल रहे किसी अतिरिक्त निमित्त के ऐसे लेन-देन मूल्य और धन मूल्य राशि का औसत समझना चाहिए।

(i) जयपुर आयुक्तालय में, मै. स्वास्थ्य कॉपर प्रा. लिमि. ट्रांसफार्मर के निर्माण और प्रबंधन से जुड़ी है। निर्धारिती ने मरम्मत किये गये ट्रांसफार्मर की कुल लागत से मरम्मत के दौरान बने अवशेष का मूल्य कम करने के लिए प्रावधान बनाते हुए ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए एक ठेका किया। इसी प्रकार, निर्धारिती ने उत्पाद शुल्क के भुगतान पहले बीजकों में 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 168.57 लाख के मूल्य वाले अवशेष की राशि समायोजित की जिसके कारण अवशेष की लागत निर्धारण योग्य मूल्य कम हो गया। इसके कारण ₹ 20.05 लाख शुल्क का कम भुगतान किया गया जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

आपत्ति में विनिर्दिष्ट अवधि को आंशिक रूप से कवर करते हुए मार्च 2014 तक निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई परंतु यह चूक का पता लगाने में विफल रही।

जब हमने यह इंगित किया (मई 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 6.17 लाख के ब्याज सहित ₹ 20.05 लाख का शुल्क जमा कराया था। आंतरिक लेखापरीक्षा ही

चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(ii) बेंगलोर एलटीयू आयुक्तालय में, मै. जिंदल एल्यूमीनीयम लिमिटेड बेंगलोर ग्राहकों की मांग के अनुसार सामान के लिए ग्राहक विशिष्ट डाई का निर्माण करती है। ग्राहक विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर विनिर्दिष्ट न्यूनतम मात्रा खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निर्धारिती द्वारा जारी किये गये उद्धरण दर्शाते हैं कि नये अनुभाग के विकास की लागत 'नई डाई की सुरक्षा' के रूप में प्रभारित की जाएगी, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि में सामान की न्यूनतम विनिर्दिष्ट मात्रा की खरीद में निर्धारिती द्वारा असफल रहने के मामले में जब्त कर लिया जाएगा। इस प्रकार, जब्त की गई राशि डाई की लागत और विक्रय के संबंध में होगी और खरीददार से निर्धारिती तक प्रत्यक्ष प्रवाह रूप से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप माना जाना चाहिए। यद्यपि 2010-11 से 2013-14 के वर्षों के दौरान सुरक्षा जमा करके निर्धारिती ने ₹ 8.46 करोड़ लाख राशि वसूल की, निर्धारिती ने निर्धारण योग्य मूल्य में राशि शामिल नहीं की जिसके कारण उक्त अवधि के दौरान ₹ 96.43 लाख के केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सैस का कम भुगतान किया गया।

यद्यपि, 2010-11 से 2013-14 की अवधि कवर करते हुए विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई, सेरा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने तक चूक का पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने यह इंगित किया (दिसम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि जब्त किये गये प्रभार निर्णित हर्जानों के रूप में हैं जबकि बड़े करदाता को डाई निर्माण प्रभारों के लिए क्षतिपूर्ति की जाती है यदि ग्राहक निकासी की सहमत मात्रा उठाने में विफल रहता है। संग्रहित सुरक्षा जमा डाई की लागत नहीं होती है और ग्राहक को वापस कर दी जाती है, यदि ग्राहक द्वारा सहमत मात्रा प्राप्त की जाती है। मंत्रालय ने कहा कि मै. जिंदल पैराज़ियर ऑक्सीजन का. लिमि. [2007(208) इएलटी 181 (त्रि. बेंग)] के मामले में सेसटैट निर्णय मौजूदा मामले में भी मान्य था।

उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि नई डाई की आपूर्ति के लिए निबंधन और शर्तों में विनिर्दिष्ट है कि सुरक्षा जमा टुलिंग प्रभार, ग्राहक-निर्दिष्ट भाग/डाई के

निर्माण के लिए व्यय के प्रति संग्रहित किया जाता है। चूंकि ये अतिरिक्त प्रभार प्रत्यक्ष रूप से विक्रय से संबंधित होते हैं, उक्त निर्णित हर्जाने या सेवा कर को देय सेवा प्रभार के रूप में नहीं माना जा सकता है। मै. जिंदल पैराज़ियर ऑक्सीजन का. लिमि. के मामले में सेसटैट निर्णय मौजूदा मामले में भी मान्य नहीं था क्योंकि यह निर्णय 'सामान्य थोक कीमत' के आधार पर था और निर्धारण नियम, जो जुलाई 2000 से पहले से मौजूद थे, जबकि यह मामला 1 जुलाई 2000 से आये निर्धारण नियमों पर आधारित है।

(iii) राऊरकेला आयुक्तालय में, मै. महानदी कोल फिल्ड्स लिमि. (एमसीएल) जो कोयले का उत्पादक (अध्याय शीर्षक 27) है, ने अपने ग्राहकों से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति (निष्पादन इंसेटिव) के रूप में मार्च 2011 में ₹ 19.46 करोड़ प्राप्त किये। यद्यपि, निर्धारिती ने निर्धारण योग्य मूल्य में इस अतिरिक्त क्षतिपूर्ति को शामिल नहीं किया जिसके कारण ₹ 1 करोड़ के केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया सका जो ₹ 46.31 लाख के ब्याज सहित वसूली योग्य था।

विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा में भी चूक का पता नहीं लगाया जा सका। जब हमने इसे इंगित किया (फरवरी 2013), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि ₹ 1 करोड़ की मांग की लागू ब्याज सहित पुष्टि की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, यह कहा गया कि मामले का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि लेखापरीक्षा नमूना जांच के आधार पर की गई थी।

5.5.2.5 माल के कम मूल्य निर्धारण के कारण शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्य निर्धारण (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का निर्धारण) के नियमावली, 2000 का नियम 5 दर्शाता है कि हटाये जाने के स्थान की अपेक्षा दूसरे स्थान से सुपुर्दगी के लिए उत्पाद शुल्क योग्य माल की अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर परिशिष्ट में जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य माल बेचा गया है, वहां ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्य ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य माल की सुपुर्दगी के स्थान से परिवहन की लागत को छोड़कर लेन-देन मूल्य

समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त, उक्त नियम के अंतर्गत स्पष्टीकरण 2 में स्पष्ट किया कि हटाये जाने के स्थान जहां हटाये जाने के स्थान फैक्ट्री नहीं है; से फैक्ट्री से परिवहन की लागत उत्पाद शुल्क माल के मूल्य के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए छोड़ दिया जाएगा। मूल्य निर्धारण नियमों का नियम 6 दर्शाता है कि जहां विक्रय के लिए केवल कीमत एक मात्र निमित्त नहीं है, परंतु अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा(1) के खंड (क) की अन्य अपेक्षाएं पूरी होती हैं, तो मूल्य निर्धारण के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(i) जयपुर आयुक्तालय में, मै. डायनामिक केबल्स प्रा. लिमि., ने गंतव्य आधार हेतु केबल/कंडक्टर की आपूर्ति के लिए विद्युत विवरण निगम/रेलवे के साथ समझौता किया। कीमत में पैकिंग और अग्रोषण प्रभार, उत्पाद शुल्क, वैंट और मालभाड़ा तथा खरीददार स्टोर पर सामग्री की सुपुर्दगी के लिए बीमा प्रभार शामिल होंगे। हमने पाया कि निर्धारिती ने खरीददार से मालभाड़ा और बीमा प्रभारों के प्रति 2011-12 से 2014-15 के दौरान ₹ 4.06 करोड़ की राशि प्राप्त की जो उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए माल के निर्धारण योग्य मूल्य में शामिल नहीं थी। इस प्रकार, निर्धारिती ने ₹ 4.06 करोड़ तक माल का कम मूल्य निर्धारण किया जिसके कारण ₹ 48.64 लाख शुल्क का कम भुगतान किया गया।

यद्यपि आंशिक रूप से अवधि कवर करते हुए अगस्त 2014 तक की गई आंतरिक लेखापरीक्षा सेरा लेखापरीक्षा आपत्ति में विनिर्दिष्ट चूक का पता लगाने में विफल रही।

हमने फरवरी 2016 में इसे इंगित किया। उत्तर में, आयुक्तालय ने सूचित किया (अप्रैल 2016) कि ₹ 48.64 लाख के एससीएन जारी किये गये थे।

जब हमने इसे इंगित किया (फरवरी 2016), मंत्रालय ने आपत्ति (सितम्बर 2016) स्वीकार की और कहा कि ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 48.64 लाख के लिए एससीएन निर्धारिती को जारी किया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

(ii) हैदराबाद-IV आयुक्तालय में, मै. श्री शक्ति सिलैंडर्स प्रा. लिमि. सेटा-1985 के अध्याय-73 के अंतर्गत आने वाले एलपीजी सिलैंडर्स के निर्माण से जुड़ी है, इसके 2013-14 और 2014-15 के दौरान मै. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई, मै. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई और मै. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को आपूर्ति की। खरीद आदेशों और बिक्री बीजकों से यह पाया गया है कि निर्धारिती ने गंतव्य आधार हेतु उपरोक्त काल की निकासी की। इसलिए, माल का अधिकार गंतव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी पर केवल खरीददार को ही दिया जाएगा। इसलिए, निर्धारण योग्य मूल्य में परिवहन प्रभार और पारगमन बीमा प्रभार, यदि कोई है तो, शामिल होने चाहिए। यद्यपि, निर्धारिती ने व्यय किये गये माल भाड़ा प्रभारों को छोड़कर केवल माल की लागत पर उत्पाद शुल्क चुकाये। इस प्रकार, निर्धारण योग्य मूल्य में ₹ 1.79 करोड़ के आऊटवर्ड मालभाड़ा प्रभारों को न जोड़ने के कारण ₹ 22.17 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ जिसे ब्याज सहित निर्धारिती से वसूल किये जाने थे।

यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2014 तक की गई, यह पहलू नहीं देखा गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (फरवरी 2016), मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार (सितम्बर 2016) की परंतु कहा कि मामला पहले ही विभाग को बताया गया था, क्योंकि सेरा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने से पूर्व मामले की जांच की जा चुकी थी। प्रति-अपवंचन स्कंद की जांच के आधार पर ₹ 42.43 लाख एससीएन अप्रैल 2016 में निर्धारिती को जारी किया। आंतरिक लेखापरीक्षा के विफलता के संबंध में यह कहा गया कि कानून की व्याख्या में विभिन्न निर्णय और मामले के मद्देनजर अलग विचार है।

उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि विभाग ने फरवरी 2016 में सेरा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद एससीएन जारी किये। विभिन्न व्याख्याओं के मामले के संदर्भ में, मंत्रालय द्वारा दोहरेपन को समाप्त करते हुए उचित स्पष्टीकरण जारी करने की आवश्यकता है।

(iii) हैदराबाद-IV आयुक्तालय में, मै. विद्युत कंट्रोल सिस्टमस प्रा. लिमि. सेटा 1985 के अध्याय-85 के अंतर्गत आने वाले 'इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफार्मर्स' के

निर्माण से जुड़ी थी, जिसने 2011-12 से 2014-15 के दौरान विभिन्न ग्राहक जैसे - एपी ट्रांस्को, टीएस ट्रांसको, एपी जैंको, टीएनएसइबी, केपीटीसीएल और केएसइबी को माल की आपूर्ति की। विक्रय बीजकों से यह पाया गया कि निर्धारिती ने प्रत्येक मद के आधारभूत मूल्य से अतिरिक्त मालभाड़ा प्रभार उद्धृत किये और गंतव्य आधार पर उपरोक्त ग्राहकों को माल की निकासी की तथा माल के परिवहन के दौरान निर्धारिती के पास रखे माल के परिवहन के जोखिम और स्वामित्व हैं। इस प्रकार, निर्धारिती ने उपरोक्त ग्राहकों से प्राप्त किये गये मालभाड़े, बीमा, अग्रेषण और बैंकिंग प्रभार भी प्राप्त किये। यद्यपि, निर्धारिती ने उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित उत्पाद शुल्क की गणना के लिए निर्धारण योग्य मूल्य में उक्त राशि शामिल नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.97 लाख (अर्थात ₹ 15.25 लाख शुल्क और ₹ 6.73 लाख ब्याज, जैसा कि 31 जनवरी 2016 तक गणना की गई थी) का कम भुगतान किया गया जिससे निर्धारिती से वसूल किये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि, आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2014 तक की गई थी, इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया था।

जब हमने यह इंगित किया (फरवरी 2016), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 0.12 लाख के ब्याज सहित ₹ 0.23 लाख अदा किये थे और ब्याज ₹ 20.04 लाख हेतु एससीएन भी जारी किये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता के संबंध में, यह कहा गया कि कानून की व्याख्या में विभिन्न निर्णय और मामले के मद्देनजर अलग विचार है।

उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि विभिन्न व्याख्याओं के मामलों के संदर्भ में मंत्रालय द्वारा तर्कपूर्ण परिणाम तक पहुँचाने के लिए मंत्रालय द्वारा दोहरेपन को समाप्त करते हुए उचित स्पष्टीकरण जारी करने की आवश्यकता है।

5.5.2.6 सहायक इकाई को निकास किये गये माल पर शुल्क का कम भुगतान

1 दिसम्बर 2013 से संशोधित किये गये केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्य निर्धारण (उत्पाद शुल्क माल के मूल्य के निर्धारण) का नियम 9, 01 दिसम्बर 2013

के संशोधन किये जाने के अनुसार दर्शाता है कि जहां उत्पाद शुल्क योग्य माल केंद्रीय उत्पाद शुल्क माल का पूर्ण या आंशिक भाग अधिनियम की धारा 4 के उप खंड (3) के किसी उप खंड (ii), (iii) या खंड (ख) (iv) के में किसी निर्धारिती या किसी व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट रूप से संबंधित हैं, के द्वारा बेचा गया है, माल का मूल्य सामान्य लेन-देन होगा जिस पर खरीददारों (संबंधित व्यक्ति नहीं) को या जहां ऐसा माल ऐसे खरीददारों को नहीं बेचा गया है, खरीददारों (संबंधित व्यक्ति), जो थोक में माल बेचता है, वह हटाये जाने के समय पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बेचा गया है। बशर्ते कि किसी मामले में, जहां संबंधित व्यक्ति माल को नहीं बेचता परंतु सामान के उत्पादन या निर्माण में ऐसे माल का प्रयोग करता है और उपभोग करता है, तो मूल्य नियम 8 में विनिर्दिष्ट ढंग से निर्धारित किया जाएगा अर्थात् मूल्य ऐसे माल के उत्पादन या निर्माण की लागत पर एक सौ दस प्रतिशत होगा।

(i) जयपुर आयुक्तालय में, मै. मंगला प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने दिसम्बर 2013 से मार्च 2015 के दौरान ₹ 74.11 करोड़ लेन-देन मूल्य पर अपनी सहायक इकाई मै. मंगला इस्पात (जयपुर) लिमिटेड, जयपुर में तैयार माल बेचा। यद्यपि, पूर्वोक्त नियम 8 प्रावधानों के अनुसार, माल का मूल्य ₹ 78.00 करोड़ तक आंका गया। इस प्रकार, निर्धारिती ने ₹ 3.89 करोड़ तक माल का मूल्य छिपाया, जिस पर देय शुल्क ₹ 48.16 लाख तक आंका गया जो ब्याज सहित वूसली योग्य था।

अवधि को आंशिक रूप से कवर करते हुए अक्टूबर 2014 तक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई परंतु यह चूक का पता लगाने में विफल रही।

जब हमने यह इंगित किया (नवम्बर 2015), मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 10.62 लाख ब्याज सहित और ₹ 7.22 लाख के जुर्मान सहित ₹ 48.16 लाख का उत्पाद शुल्क जमा किया। जैसे ही वर्ष 2015-16 के वर्ष हेतु सीएस-4 प्रमाण-पत्र तैयार किया जाएगा, निर्धारिती अप्रैल 2015 से आगे का अंतरीय शुल्क अदा करने के लिए सहमत भी हो गया। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

(ii) रायगढ़ आयुक्तालय में, मै. पिडीलाईट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पंजीकरण सं. AAACP4156BXM002 और AAACP4156BXM011) की दो इकाईयां सेटा, 1985 के अध्याय 39 के अंतर्गत आने वाले माल के निर्माण से जुड़ी है। 2014-15 के बिक्री बीजकों की संवीक्षा से पता चला कि इकाईयों ने अपनी संबंधित इकाईयों से उत्पाद शुल्क माल की निकासी की। यद्यपि, उनके द्वारा उत्पादन की लागत निर्धारण के लिए कोई लागत रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। निर्धारिती की सीएस-4 के अनुसार उत्पादन की लागत निर्धारित करना और वर्ष 2014-15 के लिए अंतरीय शुल्क अदा करना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 41.79 लाख शुल्क का कम भुगतान हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

फरवरी 2014 से मार्च 2015 तक की अवधि कवर करते हुए जून 2015 में आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, किन्तु, लेखापरीक्षा रिपोर्ट 'निरंक' आपत्ति सहित जारी की।

जब हमने इसे इंगित किया (अगस्त 2015), विभाग ने कहा कि ₹ 7.73 लाख ब्याज सहित ₹ 41.79 लाख का कुल शुल्क दोनों इकाईयों ने अदा किया था।

मंत्रालय ने आपत्ति का (नवम्बर 2016) विरोध करते हुए कहा कि मामला आवधिक था और निर्धारिती सीएस-4 प्रमाण-पत्र की उपलब्धता के बाद विगत वर्ष के लिए अक्टूबर महीने में वार्षिक रूप से अंतरीय शुल्क अदा कर रहा था। इसने एक इकाई द्वारा ₹ 5.76 लाख के ब्याज सहित ₹ 27.45 लाख की राशि वर्ष 2014-15 हेतु अंतरीय शुल्क के भुगतान की पुष्टि की। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान, निर्धारिती ने कहा कि सीएस-4 प्रमाण पत्र तैयार नहीं था और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है, क्योंकि सीएस-4 प्रमाण-पत्र तैयार किये बिना आवधिक रूप से माल की निकासी अनुमत करने का कोई प्रावधान नहीं है। निर्धारिती द्वारा सही ढंग से शुल्क का निर्णय करने के अक्षमता के मामले में, उसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 2002 के नियम 7 के अंतर्गत निर्धारण प्रावधान को चुनना चाहिए। यदि निर्धारिती ने आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान सीएस-4

प्रमाण-पत्र तैयार नहीं किया था, लेखापरीक्षा दल को उक्त मामले की निगरानी के लिए कदम उठाने चाहिए थे।

(iii) बेलापुर आयुक्तालय में, मै. बीएसएफ इंडिया लिमिटेड, सेटा 1985 के अध्याय 28 के अंतर्गत श्रेणीबद्ध योग्य उत्पाद शुल्क माल के निर्माण से जुड़ी है। 2012-13 और 2013-14 की अवधि हेतु विवरणों की मंजूरी की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अपनी संबंधित इकाईयों से क्रमशः ₹ 7.43 करोड़ और ₹ 8.68 करोड़ राशि के उत्पाद शुल्क योग्य माल की निकासी की थी। यद्यपि, उत्पादन की लागत निर्धारित करने के लिए कोई लागत रिकॉर्ड निर्धारिती द्वारा नहीं रखे गये थे। निर्धारिती द्वारा सीएस-4 के अनुसार उत्पादन की लागत निर्धारण और इसी प्रकार अंतरीय शुल्क अदा करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, अपनी संबंधित इकाई को की गई निकासी पर सही निर्धारण योग्य मूल्य को स्वीकार न करने के कारण शुल्क का कम भुगतान किया जो ब्याज सहित वूसली योग्य था।

यद्यपि, अप्रैल 2010 से मार्च 2013 की अविधि कवर करते हुए दिसम्बर 2013 में विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई, परंतु सेरा द्वारा इंगित की गई चूक का पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने यह इंगित किया (अप्रैल 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती ने ₹ 29.39 लाख के ब्याज सहित ₹ 87.36 लाख का अंतरीय शुल्क डेबिट किया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि सीएस-4 प्रमाण पत्र के अभाव में, शुल्क का सही भुगतान निर्धारिती द्वारा नहीं किया जा सका।

मंत्रालय का उत्तर यह दर्शाता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा उक्त की निगरानी के लिए मामले को उठाने में विफल रही।

(iv) मैसर्स टाटा मैटालिक्स लि., खडगपुर हल्दिया कमिश्नरी में उत्पादन की लागत का 10 प्रतिशत और एक हजार की तुलना में कम मूल्य पर इसकी संबंधित पार्टी मैसर्स टाटा मैटालिक्स डीआई पाइपस लि. के लिए 2013-14 की अवधि के दौरान ढलवां लोहे के निर्माण मोलटेन मेटल आदि पिघले हुए धातु को शुद्ध करने में सलंग्न है। यह पूर्व कथित नियम का उल्लंघन था,

परिणामस्वरूप 2013-14 के दौरान ₹ 18.34 लाख से उत्पाद शुल्क के भुगतान में कमी हुई है। समान राशि उपयुक्त ब्याज के साथ वसूली योग्य थी।

यद्यपि जुलाई 2014 में आन्तरिक लेखापरीक्षा की गयी थी, सीईआरए के द्वारा इंगित करने के बाद भी कमियों का पता नहीं लगाया गया था।

जब हमारे द्वारा यह इंगित किया गया था (अप्रैल 2015), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा था कि सम्पूर्ण राशि ब्याज के साथ वसूली योग्य थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा की चूक पर यह कहा गया कि 2013-14 की अवधि के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा जुलाई 2014 में आयोजित की गयी थी और वित्तीय दस्तावेज अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए तुलन-पत्रों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था, इसके कारण चूक का पता नहीं लगाया जा सका था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि असम्मति मूल दस्तावेजों के आधार पर पता लगाया जा सकता था अर्थात् सीएस-4 प्रमाण पत्र की प्रति, मासिक आधार पर तैयार किये गये और पिघले हुए धातु की मंजूरी को बीजको में दर्शाया गया है।

(v) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के कार्यालय की लेखापरीक्षा, एन्नूर-1 रेंज, तिरुपुर प्रभाग कोयम्बूटर कमिश्नरी के तहत मई और जून 2014 के दौरान की गयी थी मैसर्स अनुग्रह वाल्व कास्टिंग लिमिटेड, यूनिट-IV और मैसर्स जयचन्द्रन एलॉय (प्र) लि. के अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारित स्वीकार्य दरों के द्वारा सीएस-4 विवरण के अनुसार अभिकलित की गयी, इस प्रकार के माल के उत्पादन की लागत का 10 प्रतिशत और हजार से कम था निर्धारित स्वीकार्य दरों के द्वारा सीमित उपभोग के लिए अपनी संबंधित सहयोगी संस्था के लिए माल की संस्वीकृति दी गयी थी निर्धारित लेन-देन मूल्य की गैर-स्वीकार्यता के परिणामस्वरूप माल का कम मूल्यांकन और फलस्वरूप शुल्क का कम भुगतान हुआ, जो कि ब्याज के साथ वसूली योग्य था। आन्तरिक लेखापरीक्षा ने अक्टूबर 2013 और फरवरी 2014 में ईकाईयों की लेखापरीक्षा की थी, परन्तु इन पक्षों को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जब हमारे द्वारा यह इंगित किया गया (जुलाई 2014), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और बताया था कि मैसर्स अनुग्रह वॉल्फ कास्टिंग ने ₹ 4.03 लाख ब्याज के साथ ₹ 7.09 लाख शुल्क का भुगतान किया और जयाचन्द्रन एलाय (प्रा.) लिमिटेड ने ₹ 0.65 लाख के ब्याज के साथ ₹ 3.47 लाख शुल्क का भुगतान किया है। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, यह कहा गया था कि मैसर्स जयाचन्द्रन एलाय के मामलों में, संबंधित अधिकारियों से पूछा जा रहा है। मैसर्स अनुग्रह वॉल्फ कास्टिंग के लिए, यह कहा गया कि 2012-13 से 2014-15 के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गयी थी और इस अवधि के लिए पूर्व सूचना उपलब्ध नहीं थी।

(vi) मैसर्स वीवीएफ (इंडिया), लिमिटेड, कोलकाता, कोलकाता-1 कमिश्नरी के अन्तर्गत है। (भूत पूर्व कोलकत्ता-V कमिश्नरी), टूथपेस्ट और साबुन के निर्माण में सलंगन थी, उन इकाईयों के द्वारा सीमित उपभोग के लिए अप्रैल 2011 से जून 2012 के दौरान, बंदी और कच्छ पर स्थित अपनी सहभागी इकाईयों को 4592.26 मिट्रिक टन के उत्पादित साबुन नुडल्स और स्वच्छ साबुन का हस्तान्तरण किया था, यद्यपि, निर्धारिती सीएस-4 के अनुसार निर्धारित उत्पादन की लागत का 110 प्रतिशत पर शुल्क का भुगतान करने के लिए देनदार था, थे जोकि इस मामले में नहीं किया गया था और मंजूरी को कम निर्धारणीय मूल्य पर दिया गया था। परिणामस्वरूप नवम्बर 2012 में, निर्धारिती द्वारा, उपरोक्त मंजूरी के लिए एक लागत पत्र तैयार किया गया था और नियम के तहत आवश्यक उचित उपांत को भी सम्मिलित नहीं किया गया था। अंतरीय शुल्क का भुगतान करने के लिए, साबुन नुडल्स के संबंध में निर्धारणीय मूल्य केवल 5 प्रतिशत के उपांत से निर्धारित किया गया था और स्वच्छ साबुन के मामले में उत्पादन की लागत में उपांत को जोड़ा नहीं गया था। इसके परिणामस्वरूप शुल्क के भुगतान में ₹ 10.31 लाख की कमी हुई, जो कि लागू ब्याज के साथ-साथ वसूली योग्य थी।

मार्च 2012 में विभाग के द्वारा इकाई की आन्तरिक लेखापरीक्षा की गयी थी। केंद्रीय उत्पाद लेखापरीक्षा नियमावली 2008 प्रावधान अनुबन्धित कहते हैं कि लेखापरीक्षा वर्तमान लेखापरीक्षा की तिथि से पूरा एक महीने तक विस्तारित

की जा सकती है। यद्यपि, सीईआरए के द्वारा इंगित किये जाने तक चूक का पता नहीं लगाया गया।

जब हमने इसे इंगित किया था (सितम्बर 2013), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (दिसम्बर 2016) और कहा कि ₹ 50.22 लाख के दण्ड और लागू ब्याज के साथ-साथ ₹ 84.24 लाख के लिए मांग की पुष्टि की गयी थी। निर्धारिती द्वारा ₹ 26.97 लाख के ब्याज के साथ ₹ 59.24 लाख का भुगतान किया गया था। आगे कहा गया कि नवम्बर 2013 में आन्तरिक लेखापरीक्षा के द्वारा भी इस विषय को पता लगाया गया था।

उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार नहीं है जो इंगित करता है कि मार्च 2012 में की गयी लेखापरीक्षा में इसका पता नहीं लगा था

5.5.2.7 छूट का गलत लाभ उठाने के कारण शुल्क भुगतान में कमी

दिनांक 1 मार्च 2013 की अधिसूचना के अनुसार यथा संसोधित, ईकाई जिसकी निकासी पूर्व वर्ष में ₹ 4 करोड़ से अधिक थी अधिसूचना के लिए परिशिष्ट में सुचीबद्ध विशिष्ट माल के संबंध में चालू वित्त वर्ष के दौरान ₹ 1.50 करोड़ तक की निकासी का पूरी छूट के अधिकारी है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अधिसूचना के पैरा 2(i) के अनुसार, 'एक उत्पादक को इस अधिसूचना में समाहित छूट का लाभ उठाने और इसके स्थान पर उसके द्वारा माल की निकासी पर सामान्य दर शुल्क का भुगतान करने का विकल्प है इस प्रकार के विकल्प वित्तीय वर्ष' के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जायेगा। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 5ए (i) के अन्तर्गत निर्गत किसी भी प्रासंगिक अधिसूचना के साथ पठित, विशिष्ट अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उत्पाद शुल्क की विशेष शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की प्रथम अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क की सामान्य दर से तात्पर्य उत्पाद शुल्क के कुल शुल्क से है। अधिसूचना सं. 1/2011-सीएक्स दिनांक 1 मार्च 2011 को अधिनियम की धारा 5अ(i) के अधीन निर्गत किया गया था।

मैसर्स इंटलेक्चुअल बिल्डिंग सिस्टम प्राइवेट लि., पूने-1 कमिश्नरी में, कारखाने में निर्मित खोखले कोर स्लैब, कारखाने में निमित्त स्लैब, तैयार

मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) आदि के उत्पादन में लगे हैं। एसटी-3 रिटर्न की 2011-12 से 2012-13 की अवधि की संवीक्षा में पता चला कि निर्धारिती ने अधिसूचना 01/201-सीई यथा संशोधित दिनांक 01 मार्च 2011 का लाभ उठाकर 1 प्रतिशत दर और लागू 2 प्रतिशत दर पर शुल्क के भुगतान पर आरएमसी की निकासी की थी, जबकि अन्य माल की निकासी के लिए, निर्धारिती ने अधिसूचना 08/2003-सीई यथा संशोधित दिनांक 01 मार्च 2003 के अधीन मूल्य आधारित छूट का लाभ उठाया और परिणामस्वरूप इस प्रकार के माल को शुल्क का भुगतान किये बिना निकासी की गयी थी। क्योंकि निर्धारिती ने शुल्क के भुगतान पर आरएमसी की निकासी के विकल्प का चयन किया था, उपरोक्त अधिसूचना के पैरा 2(i) में अनुबन्धित के अनुसार सभी अन्य माल की निकासी के लिए इसको लागू किया जाना चाहिए था। उपरोक्त अधिसूचना के गैर-अनुपालन के परिणाम में ₹ 19.54 लाख की मूल्य राशि शुल्क के गैर-भुगतान हुआ जो कि ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

यद्यपि आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा सितम्बर 2010 से जून 2013 की अवधि को कवर करते हुए जुलाई 2013 में की गयी थी, लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के बावजूद भी इसका पता नहीं लगाया गया।

जब हमारे द्वारा इंगित किया गया (सितम्बर 2014), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा था कि ₹ 9.78 लाख के दण्ड और ब्याज के साथ ₹ 19.56 की मांग की पुष्टि की गयी थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने बताया कि निर्धारिती द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये थे, यद्यपि विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न अन्य मामलों को पता लगाया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि निर्धारिती ने अधिसूचना सं. 8/2003 के अनुसार और अपनीई आर-3 रिटर्न में तैयार मिश्रित को कंकरीट पर भुगतान शुल्क का लाभ उठाने के लिए विवरणों को प्रस्तुत किया था। इसलिये विषय का डेस्क समीक्षा में ही पता लगाया जाना चाहिए था। कुछ विषयों का पता लगाने में, राजस्व की वसूली सहित, अन्य चूको को छोड़ने के लिए बहाना नहीं हो सकता।

5.5.2.8 छूट प्राप्त-वस्तुओं के स्वयं उपभोग के कारण शुल्क के भुगतान में कमी।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 4(1) के अनुसार, उत्पाद शुल्क योग्य माल का विनिर्माण कर रहा प्रत्येक व्यक्ति नियम 8 में दिए गए तरीके से शुल्क का भुगतान करेगा और कोई भी उत्पाद शुल्क योग्य माल, जिस पर शुल्क देय है, शुल्क के भुगतान के बिना नहीं हटाया जायेगा। सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2 (के) के अनुसार 'इनपुट्स' अन्तिम उत्पादों के विनिर्माता द्वारा प्रयुक्त सभी वस्तुओं उपसाधन रहित, धारा एवं बिजली उत्पन्न करने के लिए सभी वस्तुएं, किसी भी आउटपुट सेवा को प्रदान करने के लिए, लेकिन प्रयुक्त माल को छोड़कर, के लिए (अ) एक इमारत या एक सिविल संरचना या उसके एक हिस्से की संविदा कार्य के निष्पादन का निर्माण या (ब) पूंजीगत वस्तुओं की सहायता के लिए नीव डालना या संरचनाओं का निर्माण के लिए प्रयोक्त माल को अलग रखा गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 17 मार्च 2012 (यथा संशोधित) अधिसूचना सं. 12/2012-सीई के क्रम सं. 206 के अनुसार जहां माल निर्माण कार्य के स्थल पर निर्मित किये जा रहे हैं। अध्याय शीर्ष 7305 और 7308 के अन्तर्गत आने वाली सभी वस्तुएं शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त हैं।

मैसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि. अंगुल, भुवनेश्वर-II कमिश्नरी के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत, कैलक्लाइंड चूना, स्टील स्लैब और स्टील प्लेट के निर्माण में सलंगन है, 3443.29 और 7225.78 मि.ट. निर्मित स्टील संरचना में प्रयुक्त अर्थात् ग्राइन्डर, कोलम, ब्रेसिंग आदि 2013-14 और 2014-15 के दौरान शुल्क के भुगतान के बिना अपने स्वयं के उपभोग के लिए पूर्वोक्त, अधिसूचना के द्वारा छूट का दावा किया गया। विनिर्मित स्टील संरचनाओं इनपुटों की परिभाषा के अपवर्जन खंड के अन्तर्गत हैं क्योंकि वे फैक्ट्री के भीतर सरचनात्मक कार्य में उपभोग किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने पूर्वोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत छूट का दावा किया था, जिसे केवल ऐसे स्थल पर कार्य निर्माण में प्रयुक्त करने के लिए कार्य के स्थल पर विनिर्मित माल के संबंध में लागू किया गया है। अतः निर्धारिती छूट का हकदार नहीं है और इस प्रकार के शुल्क के रूप में ₹ 5.45 करोड़ भुगतान

योग्य थे। यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी थी, केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा के द्वारा विषय को इंगित करने तक चूक का पता नहीं लगाया गया था।

जब हमारे द्वारा इंगित किया गया था (जुलाई 2015), मंत्रालय ने स्वामित्व में अवलोकन को स्वीकार किया था (दिसम्बर 2016) परन्तु कहा था कि विषय पहले ही विभाग के संज्ञान में था और मई 2015 में आंतरिक लेखापरीक्षा में इसे प्रस्तुत किया गया था। यह आगे कहा गया कि ₹ 6.26 करोड़ के लिए एससीएन निर्धारिती के लिए निर्गत किया गया था और अनुवर्ती अवधि के लिए एससीएन भी प्रक्रियाधीन था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है अप्रैल 2015 में सीईआरए लेखापरीक्षा आयोजित की गयी थी और सीईआरए लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने बाद इस विषय को आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

5.5.3 सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना

5.5.3.1 अमान्य सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 2(1) समय-समय पर यथा संशोधित परिभाषित करता है 'इनपुट सेवा' किसी भी सेवा के रूप में '(i) एक आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए कर योग्य सेवाओं के एक प्रदाता द्वारा प्रयोग किया जाता है, या (ii) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, विनिर्माता द्वारा प्रयोग किया जाता है, अन्तिम उत्पादों के निर्माण या हटाने के स्थल तक निकासी में; और उत्पादन सेवाओं के प्रदाता या इस प्रकार की फैक्ट्री या परिसर से संबंधित एक कार्यालय की फैक्ट्री परिसर की नवीकरण और मरम्मत, विज्ञापन और क्रयो के प्रचार, हटाये जाने के स्थल तक भण्डारण शोध बाजार, इनपुटों की अधिप्राप्ति, कारोबार से संबंधित गतिविधियों, जैसे-लेखांकन, लेखापरीक्षा, वित्तपोषण, नियुक्ति और गुणवत्ता नियंत्रण, परामर्श और प्रशिक्षण, कम्प्यूटर नेटवर्किंग, क्रेडिट रेटिंग, शेयर रजिस्ट्री और सुरक्षा, इनपुटों और पूंजीगत के आवक परिवहन और हटाये जाने के स्थान तक जावक परिवहन के संबंध में प्रयुक्त सेवाएं सम्मिलित हैं।

मैसर्स केईसी इन्टरनेशनल लि., सिलवासा, सिलवासा कमिश्नरी के तहत, भूमि विकास, हाउसकीपिंग, बागवानी, घास की कटाई आदि पर ₹ 32.12 लाख की धन राशि के लिए 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान भुगतान किए सेवा कर पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। जबकि ये सेवाएं उत्पादन-संबंधी गतिविधियों संबंधित से नहीं हैं, ₹ 32.12 लाख की धनराशि के लिए सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना अनियमित और ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

अप्रैल 2012 में 2011-12 तक की अवधि के लिए निर्धारिती की लेखापरीक्षा की गयी थी परन्तु सीईआरए लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर भी चूक का पता नहीं लगाया गया।

जब हमने इस विषय को इंगित किया था (सितम्बर 2013), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) और बताया था कि ब्याज और दण्ड के साथ ₹ 37.09 लाख की मांग की पुष्टि की गई थी। निर्धारिती द्वारा अधिनिर्णय आदेश के विरुद्ध अपील की गयी थी। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने बताया कि विवादित इनपुट सेवा की पात्रता वैधानिक विवेचन के अधीन है और विभिन्न न्यायालय बागवानी अनुरक्षण सेवा, भूनिर्माण सेवा और अंतिम उत्पादक से संबंधित हाउसकीपिंग सेवा आदि विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णय लिया गया था, यद्यपि इस प्रकार के विषयों के पता न लगाना कर्तव्य की चूक के रूप में माना नहीं जा सकता।

मंत्रालय का उत्तर विरोधाभासी प्रतीत होता है जैसा कि एक ओर यह अवलोकन को स्वीकार करता है और दूसरी ओर यह बताता है कि यह वैधानिक विवेचन का विषय है। लेखापरीक्षा का मानना है कि मंत्रालय को उपयुक्त सेवा के विषय पर अस्पष्टता समाप्त करने के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण निर्गत करने की आवश्यकता है।

5.5.3.2 समय बाधित चालानों पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4(1) के अनुसार, उत्पादक और आउटपुट सेवा के प्रदाता छह महीने पहले से अधिक निर्गत किये गए बीजकों पर सेनवेट क्रेडिट लेने के योग्य नहीं है। ये प्रावधान 1 सितम्बर 2014 से 28

फरवरी 2015 की अवधि के दौरान प्रभावी थे। इसके उपरान्त छह महीनों के प्रतिबंध को एक वर्ष में परिवर्तित किया गया था।

मैसर्स मैथन ऍलाय प्रा.लि., बोलपुर में सितम्बर 2014 और नवम्बर 2014 के दौरान बीजकों जो छह महीनों से भी अधिक पुराने थे पर ₹76.07 लाख का सेनवेट क्रेडिट लिया था। इसके परिणामस्वरूप ₹76.07 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया और यह प्रयोज्य ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

निर्धारिती एक अधिदेशी ईकाई है और विभाग द्वारा ईकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा 2013-14 तक की अवधि को कवर करते हुए मई 2015 में की गयी थी, यद्यपि, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2008 के प्रावधान अनुबन्धित करते हैं कि लेखापरीक्षा वर्तमान लेखापरीक्षा की तिथि से पूर्ववर्ती पूरे एक महीने तक के लिए विस्तार किया जाना चाहिए था। सीईआरए के द्वारा इंगित करने तक चूक का पता नहीं लगा था।

जब हमने इसको इंगित किया था (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने निर्धारिती द्वारा ₹76.07 लाख के सूचित क्रेडिट निरसन अवलोकन को स्वीकार किया था (दिसम्बर 2016)। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि लेखापरीक्षको द्वारा 2014-15 से संबंधित सीईआरए द्वारा उठाये गयी आपत्ति और 2013-14 के लिए अनुमोदित योजना के अनुसार इस अवधि के लिए लेखापरीक्षा की गयी थी। इसके आगे बताया गया कि सीईआरए की आपत्तियों का भविष्य में मार्ग दर्शन के लिए नोट किया गया है।

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा विषयों के गैर-कवरेज के संबंध में मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2008, अनुबन्धित करती है कि वर्तमान लेखापरीक्षा की तिथि से पूर्वगामी पूरे एक महीने तक लेखापरीक्षा विस्तारित की जा सकती है। जैसा कि सीईआरए की आपत्ति अवधि अर्थात् 2014-15 निर्धारित प्रावधानों के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा के अनुसार कवर किया जाना चाहिए था।

5.5.3.3 केवल छूट प्राप्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोक्त इनपुट वस्तुओं पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(4) के अनुसार, छूट प्राप्त माल का विनिर्माण और छूट प्राप्त सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र नहीं है।

मैसर्स संगम (इंडिया) लि. जयपुर कमिश्नरी में पॉलिएस्टर विस्कोस यार्न, कपास और बुने हुए धागे के विनिर्माण में सलग्न है, 2013-14 के दौरान, छूट प्राप्त कपास धागे के विनिर्माण में विशेष रूप से प्रयुक्त, आयातित मशीनों पर ₹ 1.38 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया था। जैसा कि मशीनों को छूट प्राप्त माल के विनिर्माण करने में विशेष रूप से प्रयुक्त किया जा रहा था, उस पर ₹ 1.38 करोड़ की मूल्यराशि के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना अनियमित था।

विभाग द्वारा मार्च 2014 तक की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी थी, लेखापरीक्षा के अवलोकन में उल्लेख अवधि को आंशिक रूप से कवर किया गया परन्तु चूक का पता नहीं लगाया गया।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (मार्च 2015), मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) तथा कहा कि ₹ 4.90 करोड़ के लिए एससीएन निर्धारिती को निर्गत किये गये थे। जांच-पड़ताल के दौरान ₹50.00 लाख उसके द्वारा जमा भी कराये गये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने बताया कि संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

5.5.3.4 अन्य ईकाई से सम्बद्ध सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2 के उप-नियम (1) के अधीन 'इनपुट सेवा को' परिभाषित किया गया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अंतिम उत्पादों के उत्पादन के संबंध में और हटाये जाने के स्थल तक अंतिम उत्पादों की मंजूरी में उत्पादक द्वारा प्रयुक्त किसी भी सेवा से है। उपरोक्त नियमावली के नियम 14 के तहत गलत ढंग से लाभ लिये हुए सेनवेट क्रेडिट के विलम्बित वापसी/पुर्न भुगतान के लिए ब्याज उगाही करने योग्य है।

चैन्नई-IV कमिश्नरी में, यह नोटिस किया गया कि मैसर्स डायमोस लियर ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लि., इरुनगडूकोट्टई (इकाई-2) दूसरी इकाई अर्थात इकाई-1 से संबंधित प्रजात्मक सम्पदा सेवा के (पुर्न प्रभार आधार पर भुगतान) संबंध में ₹ 17.89 लाख की इनपुट सेवा कर का (अक्टूबर 2010) गलत लाभ लिया था। सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना प्रयोज्य ब्याज की उगाही के साथ-साथ वापसी के लिए था। आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा मार्च 2011 में इकाई की लेखापरीक्षा की गयी थी, परन्तु इस तथ्य को प्रकट नहीं किया गया था।

हमारे द्वारा जब इसे इंगित किया गया (मार्च 2012), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा था कि निर्धारिती ने ₹ 4.47 लाख के दण्ड और ₹ 14.93 लाख के ब्याज के साथ ₹ 17.89 लाख के शुल्क का भुगतान किया था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा था कि लेखापरीक्षा दल से चूक के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

5.5.3.5 तथ्यों के छिपाने के अन्तर्गत भुगतान किए गए शुल्क के सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ लेना।

सेनवे क्रेडिट नियमावली (सीसीआर), 2004 के नियम 9(1) (बीबी) अनुबन्धित करता है कि इनपुट सेवा के एक प्रदाता द्वारा निर्गत किये गये चालान और बिल, अनुपूरक बीजक के आधार पर, सेवा कर नियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सेनवेट क्रेडिट लिया जाना चाहिए धोखाधड़ी, मिलीभगत एवं जान-बूझकर की गयी कोई गलत बयानी के कारण एवं कार्यो को छिपाना एवं वित्त अधिनियम मे किसी प्रावधान के उल्लंघन एवं सेवा कर के भुगतान से बचने के प्रयोजन के लिए इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम जहां इसके अतिरिक्त किसी भी गैर-उगाही या गैर भुगतान और अल्प भुगतान के कारण सेवा प्रदाता से कर की अतिरिक्त राशि वसूली योग्य बन जाती है।

मैसर्स वेलनॉन पोलियस्टर लि., दमन (इकाई-III) का मुम्बई मुख्यालय (एचओ) (इनपुट सेवा वितरक) दमन कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र के अधीन, ने जर्मनी से तीन ऋण (बाह्य व्यापार ऋण) प्राप्त किये और (2008-09 से 2010-11) इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए प्रवासी सेवा प्रदाता को निश्चित शुल्क (अर्थात अग्रिम शुल्क, प्रबंधन शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, सुरक्षा एजेंट शुल्क,

मूल्यांकन शुल्क आदि) का भुगतान किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय, अहमदाबाद ने वित्त अधिनियम की धारा 66 ए के प्रावधान के तहत प्रवासी सेवा प्रदाता से बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए निर्धारिती के प्रधान कार्यालय को ₹ 105.44 लाख का एससीएन निर्गत किया गया है, ₹ 30 लाख (दिनांक 9 अक्टूबर 2012 और 20 मार्च 2014 के चालानों के द्वारा) के कुल सेवा कर का भुगतान किया गया था। हमने नोटिस किया था कि निर्धारिती ने नवम्बर 2012 और मार्च 2014 में भुगतान की गयी राशि के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया था। जबसे तथ्यों को छिपाने के विषय सम्मिलित करते हुए उपरोक्त प्रावधान के सन्दर्भ में ₹ 30 लाख के सेनवेट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था इसके परिणामस्वरूप ₹ 30 लाख के सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लिया गया।

निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा सितम्बर 2014 तक की अवधि के लिए अक्टूबर 2014 में विभाग द्वारा की गयी परन्तु यह सीईआए लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये तथ्यों का पता लगाने में विफल रही थी।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2015) मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा कहा था कि ₹ 30.58 लाख की एससीएन निर्धारिती को जारी किये गये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, यह बताया गया कि नवम्बर 2012 और मार्च 2014 के महीने में गलत क्रेडिट लाभ उठाया था और ये महीनों को आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा चयनित नहीं किये गये थे, इसीलिए चूक का पता नहीं लगा था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि अवलोकन डीजीसीईआई के द्वारा जारी किये गये एससीएन पर आधारित थे। यदि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पिछले तीन वर्षों के लिए जारी किए गये एससीएनस के बारे में सूचना एकत्र करके निर्धारिती मास्टर फाइल तैयार की जाती तो इस विषय का डेस्क समीक्षा के दौरान पता लगाया जा सकता था।

5.5.3.6 प्रतिदाय के विपरीत स्वतः क्रेडिट लेना

अधिसूचना 56/2003 सीई, दिनांक 25 जून 2003, यथा संशोधित प्रदान करता है सिक्किम राज्य से निकासित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए क्षेत्र

अधारित छूट प्रदान करता है, शुल्क की पुर्न-प्राप्ति के माध्यम से उपलब्ध सेनवेट क्रेडिट की अनिवार्य उपयोगिता के बाद ई-भुगतान के माध्यम से इसका भुगतान किया गया था। अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक माह में निर्माता भुगतान की गई राशि का क्रेडिट ले सकता है और वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई राशि अन्तर हो तो आगामी वित्तीय वर्ष के मई के 15वें दिन तक केंद्रीय उत्पाद के उपायुक्त के सहायक आयुक्त द्वारा विषय के रूप में निर्धारित शर्तों के अनुसार वापस कर दी जायेगी विनिर्माता द्वारा अपने लिए इस प्रकार की अन्तर राशि का स्वयं क्रेडिट लेने की कोई गुंजाइश नहीं है।

मैसर्स सन फार्मा लेबोरेटरीस लि. और मैसर्स टोरेट फार्मास्युटिकल्स लि. गंगटोक सिलीगुड़ी कमिश्नरी के तहत, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद विभाग को अंतर राशि की पुर्न-प्राप्ति का दावा किया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुर्न-प्राप्ति के आदेश जारी किये बिना उत्तरवर्ती महीनों में इस प्रकार की अंतर राशि के निजी-क्रेडिट का लाभ लिया था। निर्धारिती के पुन-प्राप्ति दावों की न तो विभाग द्वारा संवीक्षा की गयी और न ही विभाग द्वारा अनुबन्धित समय में जैसा विधान के तहत आवश्यक था इन दावों के संबंध में कोई पुर्न-प्राप्ति आदेश जारी नहीं किये गये थे, अंतर राशि स्वयं क्रेडिट का लाभ उठाया गया और उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए इसकी उपयोगिता अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 5.39 करोड़ के शुल्क का गैर-भुगतान हुआ, जो कि प्रयोज्य ब्याज सहित वसूली योग्य था।

मैसर्स सन फार्मा लेबोरेटरीस लि. की लेखापरीक्षा विभाग द्वारा दिसम्बर 2013 में की गयी थी जबकि मैसर्स टोरेट फार्मास्युटिकल्स लि. की लेखापरीक्षा फरवरी 2014 में की गयी थी। यद्यपि, दोनों ही मामलों में चूकों का सीईआरए के द्वारा बताये जाने तक पता नहीं चला था।

जब हमने इसके विषय में बताया था (मार्च 2015), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा कहा था कि ₹ 4.06 करोड़ के लिए एससीएन निर्धारिती को जारी किये गये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने बताया था कि निर्धारिती ने अंतर पुर्न-क्रेडिट सुओ-मोटो को लेने के

लिए रेंज अधीक्षक को सूचित नहीं किया था। तथापि, संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि निर्धारिती द्वारा अंतर शुल्क के स्व-क्रेडिट लेने के संबंध में गेंगटोक रेंज के अधीक्षक की प्रति के साथ गेंगटोक प्रभाग के उप-आयुक्त को सूचित किया था। इसलिए, विभाग स्व-क्रेडिट का लाभ उठाने की वास्तविकता के विषय से अवगत था।

5.5.4 सेनवेट क्रेडिट की गैर/ कम वापसी

5.5.4.1 अप्रचलित इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 3(5बी) प्रदान करता है कि यदि इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य, उपयोग में लाने से पहले, जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, पूर्ण या आंशिक निरस्तीकरण और जहां किसी भी प्रावधान को पूर्ण या आंशिक रूप से लिखने के लिए लेखा पुस्तकों को तैयार किया गया है, तब विनिर्माता एवं सेवा प्रदाता, जैसी स्थिति हो, उपरोक्त इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में लिये गये सेनवेट क्रेडिट के तुल्य मूल्य राशि का भुगतान करेगा।

(i) मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. (एचजेडएल), चंदेरिया उदयपुर कमिश्नरी में, अपनी लेखा-पुस्तकों में 2012-13 से 2013-14 के दौरान ₹ 11.71 करोड़ मूल्य के भण्डार वस्तुओं/इनपुटों की अ-गतिशील इन्वेंटरी का प्रावधान किया था। यद्यपि ये प्रावधान भण्डार वस्तुओं/इनपुट के उपयोग में लाने से पहले बनाए गए थे, निर्धारिती को पूर्वोक्त के प्रावधान के अनुसार ₹ 1.69 करोड़ की मूल्य राशि का भुगतान करना आवश्यक था, जिसका भुगतान नहीं किया गया था।

यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2013 तक कर ली गयी थी, एलडीपी में व्यक्त अवधि को आंशिक रूप से कवर किया गया, सीईआरए द्वारा पता लगायी गयी चूक को इंगित नहीं किया गया।

जब हमने इंगित किया था (जनवरी 2015), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि निर्धारिती को ₹ 17.72 करोड़ के लिए

एससीएन जारी किये गये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा था कि संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

(ii) मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज़ लि. जयपुर कमिश्नरी में 2013-14 और 2014-15 के दौरान अप्रचलित इनपुटों के संबंध में लेखा-पुस्तको में ₹ 1.53 करोड़ के प्रावधान बताये गये थे। हालांकि, सेनवेट क्रेडिट ₹ 18.96 लाख की मूल्यराशि के लिए इन इनपुटों के लिए आरोप्य थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य था।

विभाग द्वारा निर्धारित की आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी थी परन्तु लेखापरीक्षा द्वारा बताई गयी चूक का पता लगाने में यह विफल रहा।

जब हमने यह बताया था (जनवरी 2016), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा था कि निर्धारित ने मूल्यराशि को डेबिट किया था और ₹ 2.84 लाख दण्ड और ₹ 7.68 लाख ब्याज सहित ₹ 18.96 लाख जमा किये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा था कि आंतरिक लेखापरीक्षा चयनित लेखापरीक्षा, अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना पर आधारित जहां अप्रचलित इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट से संबंधित कोई भी बिंदु विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि अप्रचलित इनपुट/पूँजीगत वस्तुओं के प्रावधान वार्षिक वित्तीय विवरण में उल्लेखित हैं और इन विवरणों की विस्तृत परीक्षण लेखापरीक्षा में अनिवार्य रूप से किया जा सकता है।

5.5.4.2 छूट प्राप्त निकासी पर सेनवेट क्रेडिट का गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियामावली, 2004 के नियम 6(1) विचार करता है कि जिनको इस प्रकार की इनपुट सेवा और इनपुट की मात्रा पर सेनवेट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जायेगी, छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए छूट प्राप्त वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयोग किया गया है।:-

- (i) छूट प्राप्त वस्तुओं के मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर मूल्यराशि का भुगतान किया जायेगा; और
- (ii) उप-नियम 6(3) के अधीन अवधारित रूप में छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण के संबंध में या प्रयोग में इनपुट और इनपुट सेवा के लिए

सेनवेट क्रेडिट आरोप्य के लिए एक समान राशि का भुगतान करेगा;
और

- (iii) इनपुटों के पृथक लेखे बनाए रखना और विनिर्माण शुल्क देय अंतिम उत्पादों के लिए प्रयुक्त केवल इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है और उपनियम 6(3) के तहत अवधारित रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण के संबंध में और प्रयुक्त इनपुट सेवाओं के लिए सेनवेट क्रेडिट आरोप्य के लिए समान मूल्य राशि का भुगतान किया।

इसके अतिरिक्त, सीसीआर, 2004 के नियम 6(2) के अनुसार, इनपुटों के लिए पृथक लेखों को बनाये रखना छूट प्राप्त वस्तुओं और शुल्क देय उत्पाद के संबंध में और रसीदों प्रयोग में, उपभोग और इनपुटों की इनवेन्ट्री के लिए पृथक खाते रखने पर जोर देता है। और केवल शुल्क देय माल में प्रयुक्त इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट लिया जा रहा है।

सिलीगुडी कमिश्नरी में मैसर्स सन फार्मा लेबोरेट्रीइस लि. गेंगटोक के अभिलेखों के सत्यापन से पता चलता है कि निर्धारिती ने शुल्क देय और छूट प्राप्त फार्मास्यूटिकल दोनों उत्पादों की निकासी और विनिर्माण किया और सीसीआर 2004 के नियम 6(3) (iii) के अनुसार इनपुटों के लिए पृथक लेखे बनाये रखने के लिए विकल्प का चयन किया था। तथापि, लेखापरीक्षा जांच से पता चलता है कि निर्धारिती द्वारा शुल्क देय और छूट प्राप्त उत्पादों के विनिर्माण के लिए फैक्ट्री में प्राप्त इनपुटों पर सम्पूर्ण क्रेडिट लेने और उपयोग करने के लिए एक प्रणाली को अपनाया था। बाद में छूट प्राप्त माल के विनिर्माण के पहले, निर्धारिती द्वारा निर्मित किये जा रहे के छूट प्राप्त माल के लिए आरोप्य सेनवेट क्रेडिट वापिस लिया गया। इस प्रकार, निर्धारिती सीसीआर 2004 के नियम 6(3) (iii) और 6(2) में अनुबन्धित के अनुसार इनपुटों के लिए पृथक लेखे बनाने/ रखने में विफल रहा और जबकि छूट प्राप्त माल के मूल्य के छह प्रतिशत का भुगतान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 2012-13 और 2013-14 के दौरान ₹ 9.34 करोड़ का अल्प भुगतान हुआ जो कि ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

निर्धारिती एक अनिवार्य ईकाई है और विभागीय मानदण्डों के अनुसार प्रति वर्ष आंतरिक लेखापरीक्षा में इसे कवर किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त

ईकाई की लेखापरीक्षा 2012-13 की अवधि को कवर करते हुए दिसम्बर 2013 में हुई थी। परन्तु सीईआरए द्वारा बताये जाने तक चूको का पता नहीं लगाया गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2015), मंत्रालय ने अवलोकन का विरोध किया और कहा (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती के पास विकल्प हैं या तो वह पृथक लेखे तैयार करे या छूट प्राप्त वस्तुओं में प्रयुक्त इनपुटों के लिए आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के समतुल्य एक मूल्यराशि का भुगतान करें। इस मामले में निर्धारिती द्वारा समानुपाती क्रेडिट को वापिस किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, नियम के अनुसार निर्धारिती के लिए आवश्यक है विकल्प के चयन के बारे में विभाग को सूचित करें और उसका पालन करें जिसका इस मामले में पालन नहीं किया गया है।

5.5.4.3 ट्रेडिंग में प्रयुक्त सेवाओं पर समानुपाती सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3) के अनुसार, वस्तुओं के विनिर्माता और सेवाओं के प्रदाता द्वारा, छूट प्राप्त वस्तुओं और शुल्क देय उत्पादों दोनों में इनपुट सेवाओं/इनपुटों के प्रयोग और प्राप्ति के लिए पृथक खाते बनाये रखने के लिए विकल्प का चयन नहीं किया गया और छूट प्राप्त सेवाओं और कर देय प्रॉवधान छूट प्राप्त वस्तुओं/छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य पर प्रतिशत निर्धारित करने पर नियम 6(3) (i) के तहत एक मूल्य राशि का भुगतान करने के लिए विकल्प प्राप्त करता है और नियम 6(3ए) के तहत निर्धारित पद्धति के द्वारा अभिनिश्चित एक मूल्यराशि का भुगतान किया गया। उपरोक्त नियमावली के नियम 2(ई) के तहत स्पष्टीकरण के अनुसार ट्रेडिंग छूट प्राप्त सेवा है।

मैसर्स स्प्रेडिंग सिस्टमस इंडिया प्रा. लि. बेंगलूर, बैंगलूरु-11 कमिश्नरी के तहत, उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण के लिए अतिरिक्त में विभिन्न माल की ट्रेडिंग के लिए अपनी पंजीकृत परिसर का प्रयोग किया कर रहा था। निर्धारिती द्वारा फैक्ट्री इमारत के किराये पर, सुरक्षा सेवाओं के लिए प्रभारो, चार्टर्ड एकाउन्टेन्स की सेवाओं आदि, ट्रेडिंग गतिविधियों और विनिर्माण करने के लिए जिस पर सामान्य रूप से सेवाओं पर उपयोग की गयी, उस पर सेवा कर

भुगतान के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था। यद्यपि निर्धारिती ने छूट प्राप्त सेवाएँ (ट्रेडिंग) उपलब्ध कराने के लिए और माल पर शुल्क भुगतान के विनिर्माण के लिए इन इनपुट सेवाओं की उपयोगिता के संबंध में पृथक लेखों को नहीं बनाया था, निर्धारिती को छूट प्राप्त सेवा में समाहित सेनवेट क्रेडिट के लिए मूल्य राशि और छूट प्राप्त सेवा के मूल्य के 5/6 प्रतिशत का भुगतान किया जाना चाहिए था।

आंतरिक लेखापरीक्षा अगस्त 2013 तक की अवधि को कवर करते हुए दो बार की गयी थी, परन्तु इस चूक का पता लगाने में विफल रही थी।

जब हमने यह इंगित किया था (जून 2014) मंत्रालय ने बताया था कि (सितम्बर 2016), ₹ 47.41 लाख की मांग की पुष्टि की गयी थी और निर्धारिती द्वारा ₹ 18.94 लाख का भुगतान किया गया था।

आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक के लिए, मंत्रालय ने बताया था कि विभाग द्वारा 2012 और 2015 में आंतरिक लेखापरीक्षा की गयी थी और बहुत पहले ही इसके द्वारा इस विषय का पता लगाया जा चुका था तथा इसके संबंध में ₹ 18.94 लाख की वसूली की गयी थी।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि निर्धारिती की संख्या 248/2012 दिनांक 28 अगस्त 2012 और 380/2013 दिनांक 4 दिसम्बर 2013 की लेखापरीक्षा टिप्पणी के साक्ष्य के अनुसार सीईआरए लेखापरीक्षा से पहले, दो बार लेखापरीक्षा की गयी थी लेकिन उनके द्वारा इस विषय का पता नहीं लगाया गया था तब, सीईआरए द्वारा निर्धारिती की लेखापरीक्षा अप्रैल-मई 2014 में की गयी और जून 2014 में इस विषय को उठाया गया था। तदनुसार, विभाग द्वारा तीसरी लेखापरीक्षा अक्टूबर 2014 में की गयी थी, जिसके द्वारा विषय का पता लगाया गया था और इस विषय पर एक अवलोकन को सम्मिलित करते हुए लेखापरीक्षा नोट सं.469/2014 जारी किया गया था और बताया गया कि ₹ 4.89 लाख वसूले गये थे। इस प्रकार, मंत्रालय का बयान इस विषय पर कि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा इसका बहुत पहले पता लगाया गया था, सही नहीं हैं।

इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा निर्धारिती की चूक का पता लगाने में न केवल विफल रही, बल्कि अपनी चूक को छिपाने के लिए गलत तथ्यों को देने का प्रयास भी किया था। मंत्रालय तथ्यों का परीक्षण करेगा और दोषी अधिकारियों के संबंध में उचित कार्रवाही करेगा।

5.5.4.4 विद्युत और प्रतिभूति ट्रेडिंग पर सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 (सीसीआर) के नियम 6 के अनुसार इनपुट एवं इनपुट सेवा की ऐसी मात्रा पर जो कि छूट दी गई वस्तुओं के विनिर्माण में अथवा छूट दी गयी सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयोग की जाती है, उस पर सेनवेट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जायेगी। जैसा नियम 2(इ) में परिभाषित किया गया है कि छूट दी गयी सेवाएं शब्द से तात्पर्य कर योग्य सेवाएं हैं जो उस पर लगाये गए सेवा कर के सम्पूर्ण से छूट प्राप्त हैं और सेवाओं को सम्मिलित करता है जिस पर वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66बी के तहत कोई सेवा कर उदग्राह्य नहीं है। जहां एक निर्माता एवं उत्पादन सेवा प्रदाता इनपुट और इनपुट सेवाओं का लाभ उठाता है और शुल्क देय के साथ-साथ छूट प्राप्त वस्तुओं का निर्माण करता है और कर योग्य के साथ-साथ छूट प्राप्त सेवाएं प्रदान करता है, प्रयुक्त इनपुटों की इन्वेन्ट्री और उपभोग, प्राप्ति के लिए पृथक लेखे बनाये जाने चाहिए और कर योग्य और छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए और शुल्क देय और छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण के संबंध में और इनपुट सेवा के उपयोग में प्रयुक्त किया जाता है। यदि उपरोक्त उल्लिखित पृथक खाते नहीं बनाये जाते हैं, तो विनिर्माता या सेवा प्रदाता सीसीआर, 2004 नियम 6(3) के प्रावधानों के अनुसार एक राशि का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूतियों के कारोबार के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर अथवा प्रतिभूतियों के क्रय मूल्य का एक प्रतिशत कारोबार जो भी अधिक हो, प्रतिभूतियों के कारोबार के मामलों में अधिसूचना 28/2012 (सीएक्स) के अनुसार छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के रूप में माना जायेगा।

मुम्बई-॥ कमिश्नरी में मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्री लि. सीईटीए 1985 के अध्याय शीर्षक 34, 38 और 39 के तहत आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण के काम में लगी हुई है। वित्तीय विवरण 2012-13 की संवीक्षा से

पता चलता है कि निर्धारिती ने अपनी रिटेल दुकान पर ₹ 13.83 करोड़ की कारोबार गतिविधि की थी और ₹ 4.26 करोड़ की मूल्यराशि का पवन चक्कियों से उत्पन्न विद्युत धारा का विक्रय भी किया था। यह भी देखा गया कि समान वर्ष के दौरान निर्धारिती ने ₹ 74.77 लाख के निवेश के विक्रय पर लाभ प्राप्त किया था। यद्यपि, निर्धारिती ने न तो पृथक खाते बनाए थे और न उपरोक्त प्रावधान के अनुसार सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के तहत किसी भी राशि का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.59 करोड़ रुपये के लिए सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी हुई।

यद्यपि, आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2013 तक के लिए की गयी थी, सीईआरए द्वारा पता लगायी गयी चूक को सामने नहीं लाया गया था।

जब हमारे द्वारा यह इंगित किया गया (मार्च 2014), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि ₹ 14.59 करोड़ के लिए एससीएन निर्धारिती को निर्गत किये गये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने बताया कि संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

5.5.4.5 क्रेडिट नोट के द्वारा इनपुट मूल्य कम होने पर सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 14 अनुबन्धित करता है कि जहां सेनवेट क्रेडिट गलत ढंग से लिया और उपयोग किया गया है, विनिर्माता से उसे वसूल किया जायेगा। धारा 11 ए के प्रावधानों को इस प्रकार की वसूलियों को प्रभावी करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

चैन्नई-IV कमिश्नरी के अन्तर्गत आने वाले श्री पेरंबुदूर प्रभाग, इरुनगडूकुट्टी-III रेंज केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान, एक निर्धारिती के लेखे, मैसर्स सुरिन ऑटो मोटिव प्रा. लि. को विस्तृत संवीक्षा के लिए लिया गया था। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए बनाए गए सेनवेट अभिलेखों की संवीक्षा पर, यह देखा गया कि निर्धारिती ने अपने आपूर्तिकर्ता मैसर्स संगवु जीसटामैप हाईटेक लिमिटेड से आयातित/स्वेदेशी कच्चा माल प्राप्त किया था और प्रत्येक माह के अंत में आपूर्तिकर्ता द्वारा

जारी क्रेडिट टिप्पणियों को खाते में लिये बिना आपूर्तिकर्ता के द्वारा अंतिम रूप से पारित सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 27.93 लाख और वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 14.72 लाख की सेनवेट क्रेडिट मूल्यराशि की अतिरिक्त उपयोगिता और लाभ लिया गया था। ईकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा दिसम्बर 2014 में की गयी थी, लेकिन इस विषय को सामने नहीं लाया गया था।

जब हमने यह बताया था (दिसम्बर 2015), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा था कि ₹ 40.62 लाख के लिए एससीएन निर्धारिती को निर्गत किये गये थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने बताया कि कमिश्नर के द्वारा (लेखापरीक्षा) उन अधिकारियों पर कार्रवाही की जायेगी जिनके द्वारा चूक का पता नहीं लगाया गया था।

5.5.4.6 ऐसे ही निकासित इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट की अल्प-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियामावली 2004 के नियम 3(5) के अनुसार, जब इनपुटों और पूंजीगत वस्तुओं जिन पर सेनवेट क्रेडिट लिये गये हैं, आउटपुट सेवा के प्रदाता के परिसर और फैक्ट्री से इस प्रकार से हटा दिये गये हैं अंतिम उत्पाद के विनिर्माता एवं आउटपुट सेवा के प्रदाता जैसी स्थिति हो, इस प्रकार की इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में लाभ प्राप्त क्रेडिट के समतुल्य एक मूल्यराशि का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, आई-बिड, नियमों के नियम-14 के अनुसार, जब सेनवेट क्रेडिट का गलत लिया और उपयोग किया जाता है और गलती से वापस किया जाता है, उसको विनिर्माता और आउटपुट सेवा के प्रदाता से ब्याज के साथ वसूल किया जायेगा।

राउरकेला कमिश्नरी के अधिकार-क्षेत्र के तहत एल्यूमीनियम फ्लैट रोल्ड उत्पादों (सीएच. 76069290) के विनिर्माता, वर्ष 2013-14 के लिए मैसर्स हिन्डालकों इंडस्ट्री लि. के सेनवेट क्रेडिट रजिस्टर, ईआर-1 लेखापरीक्षा बिक्री रजिस्टर से पता चलता है कि निर्धारिती ने इनपुटों अर्थात् सीजी इनपुटों पर ₹ 1.90 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था। तथापि, इसे ₹ 1.52 करोड़ शुल्क के भुगतान पर ये इस प्रकार से ये हटा दिये गये थे, परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियम के उल्लंघन में सेनवेट क्रेडिट की ₹ 37.61 लाख अल्प वापसी हुई।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अगस्त 2015), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा था कि निर्धारिती द्वारा ₹ 10.53 लाख के ब्याज के साथ ₹ 37.61 लाख की मूल्यराशि वापस की गयी थी। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, यह बताया गया था कि आंतरिक लेखापरीक्षा नमूना जांच के आधार पर की गयी थी और आंतरिक लेखापरीक्षा के अवधान में विषय नहीं आया था।

5.5.4.7 आग में नष्ट आदानों पर लिये गये सेनवेट क्रेडिट की अल्प वापसी

केंद्रीय उत्पाद नियमावली, 2002 का नियम 21 प्रदान करता है कि जहां कमिश्नर की सन्तुष्टि के लिए यह प्रदर्शित किया जाता है कि अपरिहार्य दुर्घटना के द्वारा और प्राकृतिक कारण के द्वारा माल नष्ट या खो जाता है और हटाने से पहले किसी भी समय पर, विपणन के लिए और उपभोग के लिए विनिर्माता के द्वारा अनुपयोगी होने का दावा किया गया है, वह इस प्रकार के माल पर भुगतान योग्य शुल्क को परिहार कर सकता है, ऐसे विषय के लिए इस स्थिति में लिखित आदेश द्वारा उसके द्वारा लगाया जा सकता है। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5सी) यह भी प्रदान करता है कि जहां एक निर्धारिती के द्वारा विनिर्माण एवं उत्पादित किसी माल पर, केंद्रीय उत्पाद नियमावली, 2002 के नियम 21 के तहत शुल्क के भुगतान को छोड़ने का आदेश दिया गया है, उपरोक्त माल के उत्पादन और विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर लिया गया सेनवेट क्रेडिट वापस किया जायेगा।

लुधियाना कमिश्नरी में, अध्याय 8504 के तहत ट्रांसफार्मरों के निर्माण में लगी हुई मैसर्स अकाल इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि. दोराहा के अभिलेखों की परीक्षण जांच से पता चला है कि इनपुट ट्रांसफार्मर ऑयल, कार्गो, एल्यूमिनियम, कॉपर जो अगस्त 2008 में आग की एक घटना में नष्ट हो गये थे, निर्धारिती द्वारा 2008-09 के दौरान बट्टे-खाते में डाल दिय गये थे और ₹ 33.38 लाख के सेनवेट क्रेडिट को वापस कर दिया गया था। यद्यपि, वापस की गयी सेनवेट क्रेडिट की मूल्यराशि ₹ 76.09 लाख संगणित की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 42.71 लाख की मूल्यराशि के सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी हुई।

लेखापरीक्षा अवलोकन में उल्लेखित अवधि को कवर करते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा यद्यपि मई 2010 में की गयी, इसके द्वारा चूक का पता नहीं लगाया गया था।

जब हमारे इसे इंगित किया (अप्रैल 2010), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया था (नवम्बर 2016) तथा कहा था कि समान दण्ड और ब्याज के साथ ₹ 76.09 लाख की मांग की पुष्टि की गई थी। निर्धारिती द्वारा सीईएसटीएटी को अपील दायर की गयी जो विचाराधीन है। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, यह बताया गया था कि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा विषय की जांच की गयी थी परन्तु निर्धारिती द्वारा लेखापरीक्षा के समय बीमा कंपनी के साथ दायर दावे को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

5.5.4.8 प्रयुक्त पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की अल्प वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5ए) प्रयुक्त पूंजीगत माल के हटाये जाने पर प्रक्रिया के लिए नियम प्रदान करता है, जिसमें एक निर्धारिती को प्रति तिमाही 2.5 प्रतिशत की दर पर मूल्यास की अनुमति के बाद क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए एक बराबर मूल्यराशि का भुगतान आवश्यक है, इस शर्त पर कि यदि 'लेन-देन मूल्य' पर देय शुल्क गणना की गयी मूल्यराशि से कम है, तब 'लेन-देन मूल्य' पर शुल्क के बराबर मूल्यराशि का भुगतान किया जायेगा।

मैसर्स विशाखापट्टनम-1 कमिश्नरी के अन्तर्गत, मैसर्स बोथरा शिपिंग सर्विस प्रा.लि. ने ₹ 1.94 करोड़ की लेन-देन मूल्य के लिए प्रयुक्त पूंजीगत माल का विक्रय किया था, जिसके लिए पूर्वोक्त नियम के अनुसार ₹ 23.98 लाख शुल्क का भुगतान किया गया था। हांलाकि, निर्धारिती ने प्रति तिमाही 2.5 प्रतिशत मूल्यास का लाभ उठाने के बाद केवल ₹ 16.14 लाख के सेनवेट क्रेडिट का वापस किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.84 लाख सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी हुई जो कि ₹ 3.60 लाख के ब्याज के साथ वसूली योग्य था। इसी प्रकार मैसर्स एचबीएल पावर सिस्टम लि. ने ₹ 98.08 लाख के लिए पूंजीगत माल का विक्रय किया जिस पर ₹ 12.12 लाख शुल्क देय था परन्तु निर्धारिती ने ₹ 8.54 लाख का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.59 लाख से क्रेडिट का कम भुगतान हुआ जो कि ₹ 2.12 लाख के ब्याज के साथ वसूली

योग्य था। देय ब्याज और सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी कुल एकत्र, ₹ 17.15 के लिए वसूली/योग्य थी।

यद्यपि, दो निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षाएँ सितम्बर 2014 और जनवरी 2015 तक की गयी थी, कम वापसी को सूचित नहीं किया गया था।

जब हमने इसके बारे में बताया (जनवरी-फरवरी 2016) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (दिसम्बर 2016) और कहा कि मै. बोथरा शिपिंग सर्विसेस प्रा.लि. ने ₹ 3.60 लाख के ब्याज सहित ₹ 7.84 लाख का शुल्क वापिस कर दिया था और मै. एचबीएल पावर सिस्टमस प्रा. लि. ने ₹ 2.12 लाख के ब्याज के साथ ₹ 3.59 लाख का शुल्क वापिस कर दिया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा की चूक पर उसने कहा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा में सेनवैट मामलों को नमूना महीनों के लिए यादृच्छिक रूप से सत्यापित किया गया था और सीईआरए लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए महीनों को नमूने में कवर नहीं किया गया था।

5.5.4.9 समान इनपुट और इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट की अल्प वापसी

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3) (ii) के अनुसार माल का विनिर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता, जो प्राप्त के लिए पृथक लेखे का अनुरक्षण नहीं करने का विकल्प लेता है और शुल्क योग्य और छूट प्राप्त माल दोनों के विनिर्माण में इनपुट/सेवाओं का प्रयोग करता है, के पास नियम 6 (3ए) के अन्तर्गत निर्धारित फार्मूला द्वारा निर्धारित राशि के भुगतान का विकल्प है।

बेंगलोर-III कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. पेपसिको (आई) होल्डिंग्स प्रा. लि. बेंगलोर, जो कारबोनेटड साफ्ट ड्रिंक्स, मिनरल वाटर, फ्रूटजूस और सिरप के एक विनिर्माता है ने 2011-12 के दौरान 01 मार्च 2011 की अधिसूचना सं. 1/2011-सीई के तहत शुल्क के भुगतान पर अन्य अन्तिम उत्पादों की निकासी के अलावा छूट का लाभ लिया। निर्धारिती ने उन इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ लिया जो सामान्य रूप से शुल्क योग्य और छूट प्राप्त अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त होती है, किन्तु उनके संबंध में पृथक लेखों का अनुरक्षण नहीं किया। निर्धारिती ने वर्ष 2011-12 के दौरान प्रतिवर्ती ₹ 1.24 करोड़ के प्रति ₹ 27.25 लाख की राशि

को नियम 6(3ए) के प्रावधानों के अनुसार सेनवेट क्रेडिट के भाग को वापिस किया जिसके परिणामस्वरूप ₹96.71 लाख की कम वापसी हुई जो ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

यद्यपि, आन्तरिक लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2012 से जनवरी 2013) 2011-12 की अवधि को कवर करते हुए की गई थी, परन्तु यह कम वापसी का पता लगाने में विफल रही।

जब हमने इसके बारे में बताया (दिसम्बर 2014) मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2016) कि निर्धारिती को ₹96.47 लाख के लिए एससीएन जारी कर दिया गया था और निर्धारिती ने सेसटेट के समक्ष अपील दाखिल की थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा की चूक पर, मंत्रालय ने कहा कि विभाग ने पूर्व अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना के अनुसार एक विशेष नमूना महीने के लिए केवल दस्तावेजों को सत्यापित किया था और यदि मामला उक्त नमूना जांच महीने के दौरान अस्तित्व में नहीं था, तो मामले का पता नहीं लग सकता था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सेरा ने वर्ष 2011-12 के सभी महीनों में सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी पाई जिसे आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा 22 महीनों (जनवरी 2011 से अक्टूबर 2012) की अवधि में शामिल किया गया था।

अतः आन्तरिक लेखापरीक्षा न केवल निर्धारिती की चूक का पता लगाने में विफल रही किन्तु उसने इस चूक को छिपाने के लिए गलत तथ्य देने की भी कोशिश की थी। मंत्रालय तथ्यों की जांच करे और चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए।

5.5.5 ब्याज का भुगतान न करना

5.5.5.1 अन्तरीय शुल्क के भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 की धारा 11ए में परिकल्पित है कि जहां कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है, तो वहां वह व्यक्ति शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान किए जाने की देय तिथि के बाद विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज के भुगतान का दायी है।

कोलकाता-V कमीशनरी में मै. बेस्को लि. (यूनिट-1) और मै. गॉटरमेन पाइपर्स (इंडिया) लि., हल्दिया कमिशनरी में मै. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि. ने पहले की गई बिक्री के संबंध में अतिरिक्त राशि के संग्रहण के लिए बाद की तिथि में अंतरीय शुल्क का भुगतान किया। तथापि, निर्धारित ऐसे शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा। 2013-14 और 2014-15 की अवधि के लिए मै. बेस्को लि. के संबंध में ₹ 4.70 लाख, 2013-14 की अवधि के लिए गॉटरमेन पाइपर्स (इंडिया) लि. के संबंध में ऐसा ब्याज ₹ 8.53 लाख और 2013-14 और 2014-15 की अवधि के लिए मै. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि. के लिए ₹ 4.98 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

विभाग द्वारा मै. बेस्को लि. (यूनिट-1) की लेखापरीक्षा जनवरी 2013 में की गई थी जिसमें 2011-12 की अवधि कवर की गई थी, यद्यपि, लेखापरीक्षा नियमावली के अनुसार इसे दिसम्बर 2012 तक कवर किया जाना चाहिए था। विभाग द्वारा जून 2015 में मै. गॉटरमेन-पाइपर्स (इंडिया) लि. की आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई थी जिसमें केवल 2013-14 की अवधि कवर की गई थी। यद्यपि, मै. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि. एक अनिवार्य यूनिट थी और विभागीय मानदण्डों के अनुसार इसे आन्तरिक लेखापरीक्षा में वार्षिक रूप से कवर किया जाना अपेक्षित था। किन्तु यूनिट की जुलाई 2013 से लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

जब हमने इसके बारे में बताया (मार्च 2015 और सितम्बर 2015 के बीच) मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति का विरोध किया (अक्टूबर 2016) कि मै. सेल [(2015 (326) ईएलटी 450)] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि अन्तरीय शुल्क के भुगतान के मामले में ब्याज देय नहीं था। मामला बड़ी अदालत में भेजा गया और निर्णय लम्बित है। उसने आगे कहा कि चूंकि आपत्ति का विरोध किया गया है, आन्तरिक लेखापरीक्षा के भाग पर चूक का सवाल नहीं उठता।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, जैसा कि विचाराधीन मामले के मामलों में, आपत्ति उठाई जा सकती थी और एससीएन को काल बुक को हस्तांतरित किया जा सकता था, ताकि, यदि मामला विभाग के पक्ष में लिया जाता है तो कोई

राजस्व हानि नहीं है। मांग जारी करने के अभाव में, यदि मामला विभाग के पक्ष में भी लिया जाता तो भी मामला समयबाधित हो जाएगा। मंत्रालय को मामले की जांच और क्षेत्रीय संरचनाओं को उचित निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

5.6 विविध मामलें

5.6.1 शास्ति की गलत छूट और ब्याज के कम भुगतान का पता न लगाना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1944 की धारा 11 एसी के पहले परन्तुक के अनुसार, धारा 11ए की उप धारा 2 के तहत निर्धारित किसी शुल्क और धारा 11 एबी के तहत उस पर देय ब्याज, को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, जिसने ऐसे शुल्क का निर्धारण किया है, के आदेश की सूचना की तिथि से तीस दिन के अन्दर भुगतान किया जाना है, ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति की राशि का भुगतान निर्धारित शुल्क का पच्चीस प्रतिशत होगा।

कालीकट कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. गाशा स्टील्स प्रा. लि. कान्जीकोड, मई 2004 से फरवरी 2005 की अवधि के दौरान समानांतर बीजकों पर सीटीडी/टीएमटी बार और स्क्रैप को गैर कानूनी रूप से हटाने में लगी थी। इस प्रकार के हटाव पर ₹ 67.77 लाख की राशि का शुल्क देय था और ब्याज भी देय था। उल्लंघन के मामले के आधार पर ब्याज और शास्ति सहित ₹ 67.77 लाख के शुल्क की मांग का एससीएन जारी किया गया जिसकी पुष्टि दिनांक 12 मई 2009 को ₹ 67.77 लाख के ब्याज और शास्ति सहित वास्तविक आदेश (ओ-आई-ओ) द्वारा की गई थी। निदेशक और प्रबंध निदेशक (एमडी) पर प्रत्येक ₹ 20,000 का व्यक्तिगत जुर्माना भी लगाया गया था।

ओ-आई-ओ के अनुसार यदि अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत शुल्क और ब्याज का भुगतान आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर होता है तो शास्ति की राशि, प्रमाणित शुल्क की राशि 25 प्रतिशत तक प्रतिबंधित होगी। निर्धारिती द्वारा प्रमाणित शुल्क की मांग के लिए फरवरी 2006 और जून 2006 में पहले से दत्त क्रमशः ₹30.00 लाख और ₹20.00 लाख को भी समायोजित करने का आदेश दिया गया था। निर्धारिती ने ₹ 17.78 लाख का बकाया शुल्क, ₹ 16.94 लाख की शास्ति, जो प्रमाणित शुल्क और ब्याज का 25 प्रतिशत थी, का भुगतान किया (जुलाई 2009)। तथापि, निर्धारिती ने मई

2004 से जुलाई 2009 के लिए देय ₹ 12.27 लाख के ब्याज के प्रति ₹ 0.19 लाख के ब्याज का भुगतान किया था। निर्धारिती ने सेसटेट में भी अपील की जिसमें गलतब्यानी की कि ब्याज सहित शुल्क की पूरी राशि और शास्ति जमा करवा दी गई और क्षेत्राधिकारी अधीक्षक को भी तदनुसार सूचना दी (जुलाई 2009)। तथापि, विभाग ने पूरे ब्याज का भुगतान न करने से संबंधित निर्धारिती द्वारा गलत ब्यानी की अनदेखी की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.08 लाख के ब्याज का कम भुगतान हुआ। इसके अलावा, निर्धारिती 25 प्रतिशत की कम शास्ति के लाभ का भी हकदार नहीं था क्योंकि वह पूरी ब्याज देयता का निर्वाह करने में विफल रहा। यद्यपि जून 2011 तक की अवधि को कवर करते हुए निर्धारिती की आन्तरिक लेखापरीक्षा जुलाई 2011 में की गई थी तो भी यह चूक नहीं पाई गई थी।

जब इसके बारे में बताया गया (दिसम्बर 2011) विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2012) कि देयों की वसूली के लिए कोई अनिवार्य कार्रवाई नहीं की गई थी जबकि सेसटेट द्वारा शास्तियों की वसूली के प्रति दो स्थगन आदेश जारी किए गए थे (जनवरी 2010 और फरवरी 2010)।

सीईआरए ने बताया (अक्टूबर 2012) कि स्थगन आदेश केवल एमडी और निदेशक पर लगाई गई व्यक्तिगत शास्ति के संबंध में थे और कि यह स्थगन जारी करते समय, अधिकरण ने पाया कि शुल्क, ब्याज और शास्ति की पूरी राशि मुख्य अपीलकर्ता द्वारा निश्चित रूप से जमा की गई। विभाग से पार्टी द्वारा ब्याज के कम भुगतान के बारे में सेसटेट को सूचना देने और तदनुसार कम शास्ति के लिए अयोग्यता से संबंधित स्पष्टीकरण भी मांगा गया था।

विभाग ने कहा (अप्रैल 2014) कि सेसटेट में एक विविध आवेदन दाखिल किया गया था (जनवरी 2014) कि निर्धारिती को ₹ 12.08 लाख का ब्याज और ₹ 50.83 लाख की बकाया शास्ति का भुगतान करना था और कि निर्धारिती ने अधिकरण के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किए थे। विभाग ने अधिनियम की धारा 11(2)(i) के तहत ₹ 12.08 लाख के बकाया ब्याज की वसूली और ₹ 50.83 लाख की शास्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने के बारे में बताया (दिसम्बर 2014)। सेसटेट ने विविध आवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया (मार्च 2014) कि इसे दिनांक 12 मई 2009 के ओ-आई-ओ 11/2009 के प्रति मै. गीशा स्टील्स द्वारा दाखिल अपील के संबंध में दर्ज

नहीं किया गया था किन्तु एमडी और एक निदेशक को दिए गए स्थगन आदेश के संबंध में पूर्व जमा से छूट और व्यक्तिगत शास्ति की वसूली के प्रति दर्ज किया गया था। अधिकरण ने विविध आवेदन दर्ज करने में लगभग चार वर्षों के विलम्ब के बारे में भी कहा और कहा कि ब्याज की पूरी राशि और बकाया शास्ति की वसूली के प्रति कोई स्थगन नहीं था और विभाग निर्धारिती/अपीलकर्ता मै. गीशा स्टील्स से इसकी वसूली कर सकता था।

विभाग ने आगे कहा (जुलाई 2015 और नवम्बर 2015) कि निर्धारिती ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन आवेदन सहित रिट याचिका ओआईओ अमान्य घोषित करने और ब्याज और शास्ति की शेष राशि की वसूली रोकने के लिए दाखिल की थी (जून 2015)।

विभाग इस प्रभाव के अन्तर्गत था कि निर्धारिती ने ब्याज की पूरी राशि का भुगतान कर दिया था और वह 25 प्रतिशत की कम शास्ति के योग्य था और कि सेसटेट ने ब्याज और शास्ति की वसूली रोक दी थी। इससे प्रणाली में उचित मानीटरिंग की जगह और अस्थगित पुष्टिकृत मांगों की वसूली की अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव था मामले के तथ्यों की समझ में विभाग की ओर से चूक और यह पता लगाने की स्थगन आदेश एमडी और एक निदेशक के विरुद्ध व्यक्तिगत शास्ति के संबंध में ही थे, के परिणामस्वरूप एक मामले में, जहां लगभग सात वर्षों की ₹ 12.08 लाख की ब्याज राशि और ₹ 50.83 लाख (75 प्रतिशत) की शेष शास्ति के संबंध में बकायों की वसूली पर कोई स्थगन नहीं था, कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को अनुचित वित्तीय सुविधा का विस्तार भी हुआ क्योंकि मई 2004 से जुलाई 2009 की अवधि से संबंधित ब्याज राशि का कोई ब्याज उदग्राह्य नहीं था और क्योंकि अस्थगित ब्याज और शास्ति की वसूली के लिए लगभग सात वर्षों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) के सेरा की आपत्ति कि 'निर्धारिती को शास्ति की कटौती दी गई थी' सही नहीं थी क्योंकि विभाग ने सेसटेट को सूचना दी थी (जनवरी 2014) कि निर्धारिती को अभी ₹ 12.08 लाख की ब्याज देयता को पूरा करना था और वह 25 प्रतिशत की कम शास्ति हकदार नहीं था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने सेसटेट को ब्याज का भुगतान न करने के बारे में विभाग से सेरा द्वारा इस बारे में मांगे गए स्पष्टीकरण के बाद ही सूचना दी थी।

5.6.2 एससीएन में कम मांग उठाना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 11ए और 11ए के प्रावधानों के अन्तर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को निर्धारित सीमाओं की अवधि में ऐसे व्यक्ति को जिसने अपेक्षित प्रभार्य शुल्क का कम भुगतान किया हो, को कारण बताओ नोटिस देने की शक्ति है कि वह एससीएन में विनिर्दिष्ट कम दत्त शुल्क का भुगतान क्यों नहीं करेगा।

जून 2015 से सितम्बर 2015 में एलटीयू कमिश्नरी के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त कार्यालय एलटीजी III ग्रुप से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों और प्रतिदायों की लेखापरीक्षा की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-13 और 2013-14 के वर्षों के लिए मै. सीपीसीएल, मनाली, चैन्नई को जारी दो एससीएन कि छूट प्राप्त माल पर सेनवेट की वापसी के कारण निर्धारिती द्वारा देय अन्तरीय शुल्क उसमें गलती से विनिर्दिष्ट किया गया था जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 14.53 लाख और ₹ 62.02 लाख की राशि की कम मांग हुई। यह विभाग द्वारा निर्धारिती कमे दावे का सत्यापन न करने के कारण था जिसके परिणामस्वरूप कम मांग की गई।

जब हमने इसके बारे में बताया (अक्टूबर, दिसम्बर 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2016) कि अन्तरीय शुल्क देय था, यद्यपि कुल मागों के संबंध में एससीएन में कोई त्रुटि नहीं थी। आगे यह भी कहा गया कि एससीएन जारी करने में प्रणाली में कमियों को नोट कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मामला कुल मागों के बारे में नहीं था बल्कि पहले से वापसी राशि को गलती से अपनाने के बाद देय शुद्ध राशि के निर्धारण के बारे में था। जिसका भुगतान निर्धारिती द्वारा अब किया जा चुका है।

5.6.3 एससीएन को अनियमित रूप से काल बुक को हस्तांतरित करना

दिनांक 14 दिसम्बर 1995 के सीबीईसी परिपत्र सं. 162/73/95-सीएक्स में ऐसी परिस्थितियां विनिर्दिष्ट की गई हैं जिनके अन्तर्गत एक मामला काल बुक को हस्तांतरित किया जा सकता है जैसा नीचे दिया गया है:-

- (i) मामले, जिनमें विभाग उचित प्राधिकार के पास अपील में गया था।
- (ii) मामले जहां आदेश सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/सीईजीएटी इत्यादि द्वारा जारी किए गए थे।
- (iii) मामले जहां लेखापरीक्षा आपत्तियों को चुनौती दी गई थी।
- (iv) मामले जहां बोर्ड ने विशिष्ट रूप से उन्हें लम्बित रखने और उन्हें काल बुक में प्रविष्ट करने का आदेश दिया था।

इसके अलावा कमिश्नरियों को निर्देश जारी किए जा रहे थे जिनमें लम्बित काल बुक मदों की आवधिक समीक्षा अपेक्षित थी।

बेंगलोर-III कमीशनरी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के कार्यालय में काल बुक्स (मई 2015) में लम्बित एससीएन की संवीक्षा से पता चला कि मै. विक्टोरिया मरीन एंड एगो एक्सपोर्ट्स लि. बेंगलोर को 01 फरवरी 2011 को अनियमित रूप से लाभ लिए गए/प्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट को ₹ 3.70 करोड़ की मांग वाला जारी किया गया एससीएन अधिनिर्णय हेतु लम्बित था। तथापि, एससीएन को काल बुक में इस टिप्पणी के साथ हस्तांतरित किया गया (अप्रैल/मई 2012) कि 'आगे सत्यापन अपेक्षित है' यद्यपि मामला उपरोक्त उल्लिखित वर्गों में से किसी में भी नहीं आता। विभाग द्वारा नोटिस पाए जाने के बाद भी (जनवरी 2014), काल बुक मामलों की उत्तरवर्ती संवीक्षा के दौरान, कि मामला काल बुक में रखने के योग्य नहीं है, उसे अधिनिर्णय के लिए काल बुक से बाहर नहीं निकाला गया।

जब हमने इसके बारे में बताया (मई 2015) मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2016) कि एससीएन काल बुक से बाहर निकाल ली गई थी और दिसम्बर 2015 में अधिनिर्णित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.70 करोड़ की मांग और ₹ 5.14 करोड़ की शास्ति की पुष्टि हुई। मंत्रालय ने आगे कहा कि मामला विभाग को काल बुक संवीक्षा में पता लग गया था और वह असावधानी के कारण काल बुक में पड़ा रहा।

यद्यपि, विभाग द्वारा काल बुक में गलत तरीके से एससीएन रखने का पहले ही पता लग चुका था, जब तक इस बारे में सेरा द्वारा बताया नहीं गया था कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई और मामले का निर्णय दिसम्बर 2015 में दिया गया था। यदि विभाग ने समय पर कार्रवाई की होती तो ₹8.84 करोड़ की मांग पर पहले ही निर्णय ले लिया जाता। मंत्रालय को मामले को देखने की आवश्यकता है और जैसा ठीक हो चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए और भविष्य में समान प्रकार की चूकों से बचने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

5.6.4 विद्युत शक्ति उपभोग के भुगतान पर परिहार्य व्यय

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी, बेलागावी के कार्यालय परिसर को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। कमिश्नरी ने कर्नाटक विद्युत बोर्ड मौजूदा हुबली विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि. (एचईएससीओएम), बेलागावी से 210 केवीए (करार मांग) विद्युत की आपूर्ति के लिए करार किया। समझौते के अनुसार, कमिश्नरी को 210 केवीए की करार मांग के 75 प्रतिशत का भुगतान करना था अर्थात् 158 केवीए (मांग करार) या वास्तविक उपयोग (दर्ज मांग) जो भी अधिक हो।

2007-08 से 2014-15 की अवधि के लिए बेलागावी कमिश्नरी की लेखापरीक्षा के दौरान विद्युत आपूर्ति बिलों और सम्बद्ध रिकार्डों की समीक्षा के दौरान, कमिश्नरी ने उक्त अवधि के दौरान प्रति माह 158 केवीए के लिए विद्युत प्रभारों का भुगतान किया, क्योंकि दर्ज की गई रेंज प्रतिमाह 38.42 केवीए और 68.94 केवीए थी। अतः वास्तविक विद्युत मांग 18 से 33 प्रतिशत के बीच थी। कमिश्नरी द्वारा 100 केवीए की स्वीकृति स्तर पर करार मांग को कम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। करार मांग को कम करने के लिए सामयिक कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2007-08 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 15.13 लाख का अधिक व्यय हुआ जो परिहार्य था।

जब हमने इसके बारे में बताया (अप्रैल 2013), विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि एचईएससीओएम ने प्रति माह 100 केवीए की करार मांग को कम किया था (जून 2016)। मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि यह तकनीकी मामला था जिसमें सीपीडब्ल्यूडी बेंगलूर के कार्यकारी (विद्युत) का तकनीकी

मत अपेक्षित था। विद्युत आवश्यकता, नियोजन, डिजाइनिंग इत्यादि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया था और उनके द्वारा 210 केवीए की मांग भवन के निर्माण के समय निकाली गई थी। विभाग को मामले के बारे में पता नहीं था और सभी पहलू विद्युत आवश्यकता, मांग और आपूर्ति की व्यवस्था सीपीडब्ल्यूडी द्वारा की गई थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सीपीडब्ल्यूडी द्वारा की जा रही थी किन्तु बिजली के बिलों की प्राप्ति और उनका भुगतान कमिश्नरी द्वारा किया जा रहा था। चूंकि, कार्यालय द्वारा बिजली की खपत संविदाकृत मांग से कम थी, तो उस मांग को कम करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए थी। सेरा द्वारा मामले के बारे में बताए जाने के बाद विभाग ने कार्रवाई करने में तीन वर्षों से अधिक का समय लिया जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय जारी रहा।

5.6.5 आदिवासी क्षेत्र भत्ते का अनियमित भुगतान


वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश (अगस्त 2008) के अनुसार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्र/आदिवासी क्षेत्र भत्ता (टीएए) की रियायत अस्थायी प्रकृति की है और संबंधित क्षेत्रों में राज्य सरकार के कार्मिकों को भत्ते की निरन्तर स्वीकार्यता या अन्यथा के प्रकाश में इसकी पुनरीक्षा सरकार द्वारा उचित समय में की जाएगी।

इसके अलावा, टीएए की उन राज्यों में अनुमति समाप्त कर दी जाएगी जहां इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 22 मार्च 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 17(1)/2008-ई.॥ (बी) में स्पष्ट किया गया था कि झारखण्ड में केन्द्र सरकार के कार्मिकों को आदिवासी क्षेत्र भत्ते का भुगतान अनियमित था।

यद्यपि, टीएए झारखण्ड में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं है, हमने पाया (2012-13 से 2015-16) कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विभाग के कर्मचारियों को झारखण्ड के 10 कार्यालयों में 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 47.87 लाख के टीएए की राशि का भुगतान किया गया था।


जब हमने इसके बारे में बताया (दिसम्बर 2015 और मार्च 2016), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और कहा कि विभाग, मुख्यालय और क्षेत्रीय संरचनाओं ने आदिवासी क्षेत्र भत्ते का भुगतान बंद कर दिया है और भुगतान किए गए टीएए की वसूली का आदेश जारी कर दिया गया था। अभी तक ₹ 0.06 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी थी।

नई दिल्ली
दिनांक: 24 जनवरी 2017


(संजीव गोयल)
प्रधान निदेशक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 24 जनवरी 2017


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक